



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च 2026—फाल्गुन 15, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के
आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत
की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं.

भाग 4.-- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग 9

राज्य शासन के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2026

क्र. ई-1-02-2026-5-एक.-नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भागसे अधिकारियों को उनके भाग के संग्रह
खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में उक्त पद अस्थायी होने की दशा में उक्त पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अशोक बर्णवाल (1991), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक, एफको (अतिरिक्त प्रभार).	(1) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा (2) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक, एफको तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष, राजस्व मंडल

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री संदीप यादव (2000), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	(1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा (2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—
3.	श्री अजय गुप्ता (2009), संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
4.	श्री मनीष सिंह (2009), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड (अतिरिक्त प्रभार).	(1) आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश, भोपाल तथा (2) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार).	—
5.	श्री अभिजीत अग्रवाल (2010), आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
6.	श्री दीपक कुमार सक्सेना (2010), आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार).	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.	—
7.	श्री उमाशंकर भार्गव (2011), राज्यपाल के अपर सचिव, राजभवन, भोपाल.	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल.	—
8.	श्री सुनील दुबे (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड	राज्यपाल के उपसचिव, राजभवन, भोपाल.	—
9.	श्रीमती संघमित्रा गौतम (2016), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आलीराजपुर.	—
10.	श्रीमती नंदा भलावे कुशारे (2019), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आगर मालवा.	अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	श्री कमल सोलंकी (2019), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन.	—

(2) श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे (1994), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) उपरोक्तानुसार श्री अजय गुप्ता, भाप्रसे (2009) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विशेष गढ़पाले, भाप्रसे (2008) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) उपरोक्तानुसार श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कुमार पुरुषोत्तम, भाप्रसे (2012) प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2026

क्र. ई-5-890-आईएस-लीव-5-एक.-श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे, (2010), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 02 से 08 मार्च 2026 तक, पांच दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 28 फरवरी, 01 मार्च एवं दिनांक 07, 08 मार्च 2026 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत करते हुए, उन्हें दिनांक 28 फरवरी से 08 मार्च 2026 तक, नौ दिवस के एक्स-इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे, (2010), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) की अवकाश अवधि में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग का प्रभार श्रीमती उमा महेश्वरी आर. भाप्रसे, (2013), वि.क.अ. आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश, भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे, द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती उमा महेश्वरी आर. भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(7) यदि श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2026

क्र. ई-5-1183-आईएस-लीव-5-एक.- श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे, (2014), कलेक्टर, जिला दमोह का दिनांक 13 से 18 मार्च 2026 तक, छः दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 19,20,21,22 मार्च 2026 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत करते हुए, उन्हें दिनांक 13 से 20 मार्च 2026 तक, आठ दिवस हेतु एक्स-इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे, (2014), कलेक्टर, जिला दमोह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अनिल कुमार राठौर, भाप्रसे, (2020), कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दमोह के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला दमोह का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल कुमार राठौर भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(7) यदि श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग जैन, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2026

क्र.ई-1-170-2025-5-एक.-इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2026 की तालिका के सरल क्रमांक-13 पर उल्लेखित अधिकारी श्री बसंत कुर्रे, भाप्रसे (2010), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल एवं कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अधिसमय वेतनमान (Super Time Scale) में पदोन्नति उपरांत वि.क.अ.-सह-संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल पदस्थ किया गया है, जिसको "वि.क.अ.-सह-संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल" के स्थान पर "वि.क.अ.-सह-संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश, जबलपुर" पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

फरहीन खान, अवर सचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2026

क्र. GAD-6-0024-2025-GAD-1-एक(GAD) माननीय न्यायाधीपति, श्री अवल कुमार पालीवाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की सेवानिवृत्ति दिनांक 25 दिसम्बर 2025 की स्थिति में कार्यालय, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -1 मध्यप्रदेश ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार खाते में शेष अवकाश निम्नानुसार है :-

अर्द्ध वेतन अवकाश	अर्जित अवकाश (पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश)
पूर्व सेवा का अवकाश - शेष	284
(नियमानुसार पदग्रहणकाल का उपयोग नहीं करने के कारण 10 दिवस का अर्जित अवकाश क्रेडिट किया गया.)	+10
	294
उच्च न्यायालय की सेवा अवधि का अर्द्ध वेतन अवकाश बैलेंस	184
	[उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तों) अधिनियम, 1954 में अर्जित अवकाश की गणना करने का उल्लेख नहीं है].

(2) माननीय न्यायाधिपति, श्री अचल कुमार पालीवाल उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की सेवानिवृत्ति दिनांक 25 दिसम्बर 2025 की स्थिति में भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) के पत्र क्रमांक L-12023/2012-Jus, दिनांक 28 मई, 2012 के बिन्दु क्रमांक-3 के अनुरूप अधिकतम $284+10+6 = 300$ दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुमन रैकवार, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2026

संशोधित आदेश

क्र. ई.एफ-1-1-1-0200-2023-बी-2-दो.- राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अगस्त 2024 द्वारा श्री पंकज कुमार पाण्डेय, भापुसे, तत्कालीन पुलिस उपायुक्त, जोन-3, नगरीय पुलिस इन्दौर वर्तमान में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (लेखा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 26 जून से 01 जुलाई 2024 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत त्रिवेन्द्रम (केरल) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान की गई थी :-

- | | | |
|----------------------------|---|-------|
| 1. श्री पंकज कुमार पाण्डेय | - | स्वयं |
| 2. श्रीमती इंदिरा पाण्डेय | - | पत्नी |
| 3. श्री प्रांजल पाण्डेय | - | पुत्र |
| 4. श्री प्रभव पाण्डेय | - | पुत्र |

(2) उक्त अवकाश यात्रा सुविधा के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।

संशोधित आदेश

क्र. ई.एफ-1-1-1-0424-2025-बी-2-दो.- राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01 अक्टूबर 2025 द्वारा मो. शाहिद अबसार, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन एवं भर्ती), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 09 फरवरी से 27 मार्च 2026 तक, कुल सैंतालीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित आस्ट्रेलिया की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की गई थी :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) तत्समय मो. शाहिद अबसार, भापुसे की उक्त विदेश यात्रा अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन एवं भर्ती), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य संपादन हेतु किसी अन्य भापुसे अधिकारी का नाम प्रस्तावित नहीं किया गया था।

(3) उक्त निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) दिनांक 09 फरवरी से 27 मार्च 2026 तक, कुल सैंतालीस दिवस की अर्जित अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन एवं भर्ती) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, रेल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जावेगा।

(4) मो. शाहिद अबसार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-3 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2026

क्र. ई.एफ-1-1-3-0019-2025-बी-2-दो.-राज्य शासन द्वारा श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा को पारिवारिक कार्य हेतु दिनांक 19 से 24 फरवरी 2026 तक, कुल छः दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा का चालू कार्य श्री संदीप मिश्रा, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

संशोधित आदेश

क्र.ई.एफ-1-1-1-0396-2025-बी-2-दो.-राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जनवरी 2026 को निरस्त करते हुए, उसके स्थान पर श्री आदर्श कटियार, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 से 28 जनवरी 2026 तक कुल सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

क्र.ई.एफ-1-1-1-0160-2025-बी-2-दो.- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जनवरी 2026 द्वारा डॉ. असित यादव, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड को दिनांक 26 जनवरी 2026 (26 जनवरी कार्यक्रम के उपरान्त) से दिनांक 29 जनवरी 2026

तक, कुल चार दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई थी.

(2) श्री यादव, भापुसे, द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त स्वीकृत चार दिवस अर्जित अवकाश का उपभोग न करने के कारण, राज्य शासन द्वारा उक्त विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जनवरी 2026 को निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2026

फा.क्र. 811-2025-इक्कीस-ब(दो).- राज्य शासन, एतद्वारा, श्री मनोहरलाल जायसवाल, नोटरी, जिला नीमच के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अपने पुत्र के माध्यम से नोटरी कार्य संपादित करने का दोषी पाया है. जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम, 1952 के नियम, 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) (1) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए, स्थायी तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रवीण हजारे, अपर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2026

क्रमांक 1587/आर-2195283/2024/तेरह : यह कि, आवेदक मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी कॉर्पोरेट आउस, शांतिनगर, वैष्णो देवी सर्किल के पास, सी.जी. हाईवे, खोदियार, अहमदाबाद - 382421 टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली पद्धति (टीबीसीबी) के माध्यम से मेसर्स महान एनर्जन लिमिटेड के 2X800 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना से 1230 मेगावाट (एमपीपीएमसीएल का अंश) को एस.टी.यू. नेटवर्क से निकासी हेतु 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र एवं संबंधित 400, 220 एवं 132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईनों के अंतः राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास हेतु निर्माण का कार्य संलग्न परिशिष्ट अनुसार करने का इरादा रखता है।

2/ और यह कि, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 1646/आर-2195283/2024/तेरह दिनांक 22.02.2025 के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित मध्यप्रदेश के रीवा (सगरा) एवं अमरपाटन में 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र से संबंधित 400, 220 एवं 132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईनों के निर्माण कार्य हेतु आवेदक, मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। उक्त प्रस्तावित पारेषण लाइनें मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों यथा रीवा, सतना, मैहर, सिंगरौली एवं सीधी के ग्रामीण/नगरीय/शहरी क्षेत्रों के ऊपर/आसपास/मध्य से गुजरेगी। इन जिलों के मुख्य ग्राम लाईनों के मार्ग में सम्मिलित रहेंगे।

3/ और यह कि, आवेदक मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली पद्धति (टीबीसीबी) के माध्यम से परिशिष्ट अनुसार 400, 220 एवं 132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईनों के खम्भे लगाने / लाईन बिछाने / निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत टेलीग्राफ अथॉरिटी की शक्तियों को प्रदान करने का आवेदन किया गया है।

और यह भी कि, आवेदक मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा संलग्न परिशिष्ट अनुसार 400, 220 एवं 132 केव्ही पारेषण लाइनों के निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत प्राधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है।

4/ अतएव, प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य शासन, एतद्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अधीन आवेदक, मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड को मध्यप्रदेश के रीवा एवं सतना जिले में संलग्न परिशिष्ट अनुसार 400/220/132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन वे सभी शक्तियाँ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा स्थापित अथवा रख-रखाव किये गये अथवा इस प्रकार स्थापित या रख-रखाव किए जाने वाले लाइनों और खम्भों को लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ अथॉरिटी को प्राप्त हैं :-

- (i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति केवल संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित अनुसार शिरोपरि पारेषण लाईनों के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा एवं यह एक व्यापक प्राधिकार नहीं है।
- (ii) उक्त अनुमोदन इस आदेश के जारी होने की तिथि से 25 (पच्चीस) वर्ष की प्रारंभिक अवधि हेतु प्रदान किया जाता है।
- (iii) प्रदत्त शक्तियाँ भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के प्रावधानों के अधीन है।
- (iv) आवेदक को राज्य शासन के आदेश क्रमांक 1646/आर-2195283/2024/तेरह दिनांक 22.02.2025 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत प्रदत्त अनुमति के नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- (v) आवेदक को पारेषण, संचालन एवं संधारण, ओपन एक्सेस आदि के बारे में समुचित आयोग द्वारा जारी सभी विनियमों / संहिताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- (vi) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाईनों का निर्माण विद्युत अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2022 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम, 2022 के प्रावधानों तथा उनके संशोधनों के अधीन किया जाएगा।

- (vii) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी, अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से "राइट ऑफ वे" (आर.ओ.डब्लू.) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (viii) पारेषण लाईनों के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा।
- (ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाईनों के विद्यमान पारेषण लाईनों, राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग, नदी, रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी, सक्षम प्राधिकरण/कंपनी की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी।
- (x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाइनें निकालने का प्रस्ताव है, तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी। साथ ही लाइन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- (xi) यदि प्रस्तावित लाइनें दूरसंचार लाईनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाईनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।
- (xii) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (xiii) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को स्वयं के व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- (xiv) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत / सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा।
- (xv) यदि आवेदक कंपनी की लाईनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है, तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा।
- (xvi) आवेदक कंपनी राज्य / केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय-समय पर संशोधित सांविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी।
- (xvii) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उनके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य शासन को प्रतिरक्षित रखेगी।
- (xviii) यह अनुमोदन, आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन के अधीन है। उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के उल्लंघन पर, यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी।
- (xix) राज्य शासन एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय यह अनुमोदन वापस ले सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

परिशिष्ट

क्र.	अंतः राज्यीय पारेषण कार्यों का विवरण	उपकेन्द्रों की क्षमता (एमव्हीए)/लाईनों की अनुमानित लम्बाई (किमी)
1 (i)	रीवा (सगरा) 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र का निर्माण कार्य	2x500 एमव्हीए, 400/220 केव्ही एवं 2x200 एमव्हीए, 220/132 केव्ही आईसीटी
(ii)	पीटीईएमपीएल (एमईएल) स्विचयार्ड - रीवा (सगरा) 400 केव्ही डीसीडीएस लाईन (क्वाड मूस)	150 किमी
(iii)	रीवा - सिरमौर / बाणसागर-I 220 केव्ही लाईन के दोनों सर्किटों का 400 केव्ही रीवा (सगरा) उपकेन्द्र में लीलो कार्य	2x10 किमी
(iv)	रीवा (सगरा) 400 केव्ही - कोटर 220 केव्ही डीसीडीएस लाईन	45 किमी
(v)	रीवा (सगरा) 400 केव्ही - रीवा (सगरा) 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन (इंटरकनेक्टर)	10 किमी
(vi)	रीवा (सगरा) 400 केव्ही - रीवा 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन	25 किमी
(vii)	रीवा 220 केव्ही - मनगवां 132 केव्ही लाईन के दोनों सर्किट का रीवा (सगरा) 400 केव्ही उपकेन्द्र में लीलो कार्य	2x10 किमी
2 (i)	अमरपाटन 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र का निर्माण कार्य	2x500 एमव्हीए, 400/220 केव्ही एवं 2x200 एमव्हीए, 220/132 केव्ही आईसीटी
(ii)	रीवा (सगरा) - अमरपाटन 400 केव्ही डीसीडीएस लाईन (क्वाड/द्विवन मूस)	60 किमी
(iii)	मैहर - सतना (पीजीसीआईएल) 220 केव्ही लाईन के दोनों सर्किट का अमरपाटन 400 केव्ही उपकेन्द्र में लीलो कार्य	2x20 किमी
(iv)	अमरपाटन 400 केव्ही - अमरपाटन 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन (इंटरकनेक्टर)	10 किमी
(v)	अमरपाटन 400 केव्ही - सतना-II 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन	35 किमी
(vi)	अमरपाटन 400 केव्ही - रामपुर बघेलान 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन	25 किमी
(vii)	अमरपाटन 400 केव्ही - उंचेहरा 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन	25 किमी

No. 1587-2195283-2014-XIII

Bhopal, the 27th February 2026

Whereas, the applicant M/s Mahan Transmission Limited, Adani Corporate House, Shantinagar, Nr. Viashno Devi Circle, S.G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad - 382421 intends to construct 400/220/132 kV substation and associated overhead 400 kV, 220 kV and 132 kV transmission line at Rewa (Sagra) and Amarpatan, as per enclosed annexure, for the Development of Intra - State Transmission System under Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) for the evacuation of 1230 MW Power (MPPMCL Portion) through STU network from proposed 2x800 MW Thermal Power Project of M/s Mahan Energen Limited.

2/ And whereas, Government of Madhya Pradesh, Energy Department vide order no. 1646/2195283/2024/13 dated 22.02.2025 has granted permission under Section 68 of the Electricity Act, 2003 to the applicant, M/s Mahan Transmission Limited for laying / construction of 400/220/132 kV overhead lines in Madhya Pradesh as per Annexure. The above proposed transmission lines shall pass through the areas in the districts of Madhya Pradesh i.e. Rewa, Satna, Maihar, Singrauli and Sidhi and line routes shall pass through over/around/between villages/towns/cities in the area.

3/ And whereas the applicant M/s Mahan Transmission Limited has requested to confer upon them the powers of Telegraph Authority under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for placing supports and laying / construction of 400, 220 & 132 kV overhead transmission lines under tariff based competitive bidding process, as per Annexure.

And whereas, the Applicant, M/s Mahan Transmission Limited has complied with the procedure for obtaining the authorization under Section 164 of Electricity Act, 2003 for construction of 400/220/132 kV transmission lines as per Annexure.

4/ Now, therefore, after careful consideration State Government hereby confers under Section 164 of the Electricity Act, 2003 all the powers to the Applicant, M/s Mahan Transmission Limited which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of the telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained for installation of 400, 220 & 132 kV overhead transmission lines in Rewa & Satna Districts of Madhya Pradesh as mentioned in the Annexure on the following terms and conditions:-

- (i) The permission accorded under Section 164 of the Electricity Act, 2003 shall be limited up to laying/construction of the overhead transmission lines as mentioned in Annexure, only for the purpose specified as above and this is not a general authorization.
- (ii) The above approval is granted for an initial period of 25 (Twenty five) years from the date of issue of this order.
- (iii) The powers conferred are subject to the provisions of Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885).
- (iv) The applicant shall have to ensure compliance of all terms and conditions of permission granted under Section 68 of Electricity Act, 2003 by the State Government vide Order No. 1646/R-2195283/2024/13, dated 22.02.2025.
- (v) The applicant shall have to ensure compliance of all regulations/codes issued by appropriate commission regarding transmission, operation & maintenance, open access etc.

- (vi) The construction of proposed lines will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act-2003 as amended from time to time and rules & regulations framed thereunder and CEA (Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2023, CEA (Technical Standards for construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2022 and CEA (Safety Requirements for construction, operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2022 & amendments thereof.
- (vii) The applicant Company shall be responsible to obtain "Right of Way" (RoW) clearance from District Magistrate, concerned departments and land owners at its own cost.
- (viii) The land compensations towards damages in regard to tower base & RoW corridor for transmission lines will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority/s.
- (ix) In case of crossing of the proposed overhead line with existing Transmission lines, National / State highway, river, railway track, the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority/s.
- (x) In case the lines are proposed to pass over forest lands, the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in the forest area. However, 'No Objection Certificate' of competent forest authority shall be required in case of non-involvement of forest land with laying of the line.
- (xi) In case the proposed lines pass near to the telecom lines or the lines of licensees, the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities.
- (xii) The Applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before the proposed line is energized/charged.
- (xiii) On completion of construction work of the proposed lines, the Applicant Company shall have to obtain permission from the Electrical Inspector, before charging the lines, at its own cost.
- (xiv) If there is any damage to personal/public property during construction of proposed lines, Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority/s.
- (xv) If any charges are levied on the lines of the Applicant Company as per any statutory provision, the same shall be payable by the Applicant Company.
- (xvi) The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements of Central/State Govt. prevailing and as amended from time to time.
- (xvii) The Applicant Company shall indemnify the State Govt. from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between it and other party due to accident or any other reason during the work.
- (xviii) The approval is subject to compliance of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under, by the applicant. On violation of any of the above-mentioned terms / conditions, the permission shall automatically stand CANCELLED.
- (xix) The State Government may withdraw this approval any time after giving one-month notice.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

V. K. GAUR, Officer on Special Duty.

Annexure

S. No.	Details of Intra-state Transmission Infrastructure Works	Sub station Capacity (MVA) / Tentative Length (Km)
1 (i)	Construction work of 400/220/132 kV Substation at Rewa (Sagra)	2x500MVA, 400/220kV & 2x200MVA, 220/132kV ICT
(ii)	PTEMPL (MEL) Switchyard- Rewa(Sagra) 400kV DCDS line (Quad Moose)	150km
(iii)	LILLO of both circuit of Rewa - Sirmour/Bansagar-I 220kV line at Rewa (Sagra) 400 kV S/s	2x10km
(iv)	Rewa (Sagra) 400kV - Kotar 220kV DCDS line	45km
(v)	Rewa (Sagra) 400kV - Rewa (Sagra) 132kV DCDS line (Interconnector)	10km
(vi)	Rewa (Sagra) 400kV - Rewa 132kV DCDS line	25km
(vii)	LILLO of both circuit of Rewa 220 - Mangawan 132kV line at Rewa (Sagra) 400kV S/s	2x10km
2 (i)	Construction work of 400/220/132 kV Substation at Amarpatan	2x500MVA, 400/220kV & 2x200MVA, 220/132kV ICT
(ii)	Rewa (Sagra) - Amarpatan 400kV DCDS line(Quad/ Twin Moose)	60km
(iii)	LILLO of both circuit of Maihar - Satna (PGCIL) 220kV line at Amarpatan 400kV S/s	2x20Km
(iv)	Amarpatan 400 kV - Amarpatan 132kV DCDS line (Interconnector)	10km
(v)	Amarpatan 400kV - Satna -II 132kV DCDS line	35km
(vi)	Amarpatan 400kV - Rampur Baghelan 132kV DCDS line	25km
(vii)	Amarpatan 400kV - Unchehra 132kV DCDS line	25km

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
लोक भवन, भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2026

संशोधन

क्र. एफ-1-6-25-रा.स.-यू.ए. 1-132.- मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 52 के प्रावधान प्रभावशील किए जाने के फलस्वरूप राज्य शासन के परामर्श पर कुलाधिपतिजी के द्वारा विश्वविद्यालय के कुलगुरु की नियुक्ति हेतु आदेश क्र. एफ-1-6-25-रा.स.-यू.ए. 1-1082. दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 जारी किया गया है.

2. उक्त आदेश के द्वितीय पैरा की पंचम पंक्ति एवं आदेश पृष्ठांकन में प्रतिलिपि सरल क्र. 01 में “डॉ. राकेश सिंह कुशवाहा” अंकित हुआ है जिसे कि “डॉ. राकेश कुशवाह” पढ़ा जावे.

3. आदेश में अंकित अन्य विवरण यथावत् रहेगा.

कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय,
छतरपुर के आदेशानुसार,
सुनील दुबे, राज्यपाल के उपसचिव.

कार्यालय, आयुक्त, भू-संसाधन प्रबंधन, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2026

भू-सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा

क्र.-2039-म.प्र.भू.अ.प्र.स.-2026.- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र दिनांक 11 दिसम्बर 2020 में जिला बैतूल के सन्दर्भ में प्रकाशित आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 112-2020-CLR-भू-सर्वेक्षण-2020, ग्वालियर, दिनांक 04 दिसम्बर 2020 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू-सर्वेक्षण बन्द किया जाता है.

अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त.

राज्य शासन के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 650-भू-अर्जन-2026

देवास, दिनांक 6 फरवरी 2026

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में "हाटपिपल्या सूक्ष्म सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत "पंप हाउस 05 के निर्माण" हेतु ग्राम बागली, तहसील बागली जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया ज़रूरी प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "हाटपिपल्या सूक्ष्म सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत "पंप हाउस 05 के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूचि 1

ग्राम/कस्बा - बागली तहसील- बागली जिला देवास

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	हाटपिपल्या सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पंप हाउस 05 के निर्माण	1.880	-	1.880

अनुसूचि 2

ग्राम/कस्बा - बागली तहसील- बागली जिला देवास

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	विरेन्द्र पिता प्रेमसिंह जाति गुर्जर	637/1	1.068	-	3.128	0.880	-	1.880
		637/2	2.060			1.000		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋतु राज, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्र.क्र. 0003-अ-82-2025-26-भू-अर्जन

ग्वालियर, दिनांक 18 फरवरी 2026

भूमि, राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) एवं (3) में वर्णित भूमियों की अनुसूची के पद (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1-भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	—	ग्वालियर
(ख) तहसील	—	ग्वालियर
(ग) ग्राम	—	शहर लश्कर,
(घ) क्षेत्रफल	—	अर्जित क्षेत्रफल 0.7065 हेक्टेयर

स.क्र.	सर्वे नम्बर	प्रोजेक्ट में अर्जित रकबा (हे.में)	धारा(12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
1	2	3	4	5
1	33/2	0.0194	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण)संभाग ग्वालियर	ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड/फ्लाईओवर निर्माण हेतु ग्राम कोटालश्कर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)
2	33/3			
3	33/4			
4	33/5			
5	56/1	0.0515		
6	56/2			
7	56/4			
8	57/1	0.0188		
9	57/2			
10	336	0.0316		
11	337	0.0748		
12	338	0.0284		
13	339	0.0090		
14	340	0.0305		

15	342	0.0415		
16	414/1	0.0119		
17	500	0.0022		
18	503	0.0024		
19	513	0.0304		
20	517/1	0.0275		
21	517/2			
22	517/3			
23	517/4			
24	517/5			
25	517/6			
26	517/7			
27	517/8			
28	517/9			
29	517/10			
30	517/11			
31	517/12			
32	517/13			
33	517/14			
34	517/15			
35	517/16			
36	517/17			
37	517/18			
38	517/19			
39	517/20			
40	517/21			
41	517/22			
42	517/23			
43	517/24			

44	517/25		
45	517/26		
46	517/27		
47	517/28		
48	517/29		
49	517/30		
50	517/31		
51	517/32		
52	517/33		
53	517/34		
54	517/35		
55	517/36		
56	517/37		
57	547/1	0.0039	
58	547/2		
59	548	0.0122	
60	571	0.2237	
61	572	0.0748	
62	859	0.0120	
	कुल किता 62	0.7065	

- 2-सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है :- ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड/फ्लाईओवर निर्माण हेतु ग्राम शहर लक्ष्मीबाई की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)
- 3- भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र. 0001-अ-82-भू-अर्जन-2025-26

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) एवं (3) में वर्णित भूमियों की अनुसूची के पद (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1-भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	-	ग्वालियर
(ख) तहसील	-	ग्वालियर
(ग) ग्राम	-	कोटा लश्कर,
(घ) क्षेत्रफल	-	अर्जित क्षेत्रफल 0.2462 हेक्टेयर

स.क्र	सर्वे नम्बर	प्रोजेक्ट में अर्जित रकबा (हे.में)	धारा(12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
1	2	3	4	5
1	2277/1	0.0166	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण)संभाग ग्वालियर	ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड/फ्लाईऑव्हर निर्माण हेतु ग्राम कोटालश्कर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)
2	2277/3			
3	2277/4			
4	2278/1	0.0452		
5	2278/2			
6	2279/1	0.0057		
7	2279/2			
8	2281/1	0.0861		
9	2281/2			
10	2281/3			

11	2282	0.0311		
12	2401/1	0.0105		
13	2401/2/1			
14	2401/2/2/1			
15	2401/2/2/2/1			
16	2401/2/2/2/2/1			
17	2401/2/2/2/2/2/1			
18	2401/2/2/2/2/2/2/1			
19	2401/2/2/2/2/2/2/2/1			
20	2401/2/2/2/2/2/2/2/2/1/			
21	2401/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1			
22	2401/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2			
23	2402/1	0.0069		
24	2446	0.0131		
25	2882	0.0310		
	कुल किता 25	0.2462		

2-सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है :- ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड/फ्लाईऑवर निर्माण हेतु ग्राम कोटा लश्कर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)

3- भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र. 0002-अ-82-भू-अर्जन-2025-26

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) एवं (3) में वर्णित भूमियों की अनुसूची के पद (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1-भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	—	ग्वालियर
(ख) तहसील	—	ग्वालियर
(ग) ग्राम	—	गिरवाई
(घ) क्षेत्रफल	—	अर्जित क्षेत्रफल 0.1288 हेक्टेयर

स.क्र	सर्वे नम्बर	प्रोजेक्ट में अर्जित रकबा (हे.में)	धारा(12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
1	2	3	4	5
1	560/2	0.1046	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण)संभाग ग्वालियर	ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड/फ्लाईओवर निर्माण हेतु ग्राम कोटालकर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)
2	561/1	0.0050		
3	562/1/1	0.0192		
4	562/1/2			
5	562/2			
6	562/3			
	कुल किता 6	0.1288		

2-सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है :- ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड/फ्लाईओवर निर्माण हेतु ग्राम गिरवाई की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)

3- भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र. 0004-अ-82-भू-अर्जन-2025-26

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 2 एवं (3) में वर्णित भूमियों की अनुसूची के पद (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

// अनुसूची //

भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	-	ग्वालियर
(ख) तहसील	-	ग्वालियर
(ग) ग्राम	-	वीरपुर,
(घ) क्षेत्रफल	-	अर्जित क्षेत्रफल 0.6352 हेक्टेयर

स.क्र.	सर्वे नम्बर	प्रोजेक्ट में अर्जित एकता (हे.मे)	धारा(12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
1	2	3	4	5
1	1/1	0.0670	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण)संभाग ग्वालियर	ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड/पलाईऑवर निर्माण हेतु ग्राम कोटालरकर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)
2	321	0.0042		
3	322	0.0470		
4	323/1/1	0.0285		
5	323/1/2			
6	323/2			
7	324	0.0118		
8	325/1/1	0.0287		
9	325/1/2			
10	325/2			
11	326/1	0.0829		
12	326/2			
13	328	0.0010		

14	331	0.082		
15	332	0.0054		
16	334	0.0850		
17	341	0.0014		
18	351/1	0.0081		
19	351/2			
20	353/1	0.0320		
21	353/2			
22	354/1	0.0462		
23	354/2			
24	355	0.0691		
25	356	0.0050		
26	357/1	0.0299		
27	357/2			
28	357/3			
	कुल किता 28	0.6352		

2-सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है :- ग्वालियर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, ए.बी. रोड तक एलीवेटेड रोड/फ्लाईओवर निर्माण हेतु ग्राम वीरपुर की भूमि का अर्जन (द्वितीय चरण)

3- भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रुचिका चौहान, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 0002-अ-82-25-26-भू-अर्जन-26-1364

सागर, दिनांक 11 फरवरी 2026

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर के प्रस्ताव अनुसार कंदेला जलाशय निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा कंदेला पटवारी हल्का नंबर-37 तहसील जैसीनगर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 3, 4, 5 रकबा क्रमशः 1.500, 0.940, 1.420 हे. में से रकबा क्रमशः 0.060, 0.030, 0.060 हे. कुल रकबा 0.150 भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्ररूप-ख एवं ग

संदीप जी.आर., कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

प्ररूप - ख
(नियम 05 देखिये)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट
प्र.क्र. 0002/अ-82/2025-26

1	परियोजना का नाम	कंदेला जलाशय योजना																
2	लोक प्रयोजन	कंदेला जलाशय योजना निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकबा बढ़ेगा जिससे क्षेत्रवासियों का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा																
3	स्थल	ग्राम कंदेला पट.ह.नं.-37 तहसील जैसीनगर																
4	परियोजना का क्षेत्र	निजी भूमि 0.150 हे. अशासकीय भूमि																
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि कंदेला जलाशय निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है																
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर																
7	परियोजना निर्माण के चरण	कंदेला जलाशय निर्माण योजना प्रथम चरण																
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाला क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है																
9	परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि	मौजा कंदेला पट.ह.नं.-37 तहसील जैसीनगर की निजी भूमि 0.150 हे. अशासकीय भूमि																
10	भूमि का मूल्य	कलेक्टर गाइड लाइन वर्ष 25-26 अनुसार																
11	प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 03 के खण्ड ग के अनुसार)	03																
12	परिसंपत्तिया	लोक परिसंपत्ति - कोई लोक परिसंपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है																
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई <table><tr><td>अ.जा.</td><td>अ.ज.जा.</td><td>अन्य</td><td>योग</td></tr><tr><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td></tr></table> जिनके मकान अर्जित हुए परिवारों की संख्या <table><tr><td>अ.जा.</td><td>अ.ज.जा.</td><td>अन्य</td><td>योग</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	00	00	00	00	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	0	0	0	0
अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग															
00	00	00	00															
अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग															
0	0	0	0															
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण	निरंक																
	(ख) समाघातों की संकेतक सूची	निरंक																
15	विकल्प जिनपर विचार किया गया (क) यदि हो- तो वर्तमान प्रस्ताव की अधिमन्यता क्यों दी गई	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि कंदेला जलाशय निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकबा बढ़ेगा जिससे क्षेत्र वासियों का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा																
	(ख) यदि नहीं तो क्यों	निरंक																
16	निष्कर्ष	लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है क्षेत्र में जलाशय एवं नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ेगा जिससे क्षेत्रवासियों की आय बढ़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है।																

प्ररूप -ग
(नियम 05 देखिये)

प्र.क्र. 0002/अ-82/2025-26

सामाजिक समाधात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाधातो के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय-

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित परिवारों की जीविका प्रभावित होने पर प्रभावित कुटुंबों को भू-अर्जन अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका-4 के तहत वार्षिकी या नियोजन के विकल्प उपलब्ध कराये जावे।
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं है
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के लोक परिवहन	प्रभावित नहीं है
4	जल मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं है
5	पेज जल स्रोत	प्रभावित नहीं है
6	पशुओं के लिए जल स्रोत	प्रभावित नहीं है
7	सामुदायिक तालाब	प्रभावित नहीं है
8	जन सुविधाएं (पोस्ट आफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल आगनवाडी, बाल उद्यान, समसान एवं कब्रस्तान)	प्रभावित नहीं है
9	वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में सामिल करेगा	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 17/09/25 अनुसार प्रभावित परिवारों की जीविका का मुख्य स्रोत प्रभावित होने पर प्रभावित कुटुंबों को भू-अर्जन अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका-4 के तहत वार्षिकी या नियोजन के विकल्प उपलब्ध कराये जावेगे।
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में आपेक्षिक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाधात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाईयो के निष्कर्षों के प्रतिउत्तर में उनका जिम्मा लेगे	बिन्दु क्र.02 से लगायत 08 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। अतः यह बिन्दु निरक है।

क्र. 0003-अ-82-25-26-भू-अर्जन-26-1367

सागर, दिनांक 11 फरवरी 2026

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर के प्रस्ताव अनुसार कंदेला जलाशय निर्माण हेतु समुचित सरकार मौज हड़ा पटवारी हल्का नंबर-37 तहसील जैसीनगर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 15/1, 15/2, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 25/1, 25/2, 25/3, 26, 28, 29, 30 रकवा क्रमशः 0.450, 0.560, 0.370, 0.380, 0.600, 0.300, 0.300, 0.430, 0.440, 0.440, 0.250, 0.190, 0.440, 0.440, 1.300, 1.190, 0.380, 0.170 हे. में से रकवा क्रमशः 0.410, 0.200, 0.140, 0.240, 0.300, 0.050, 0.300, 0.430, 0.440, 0.440, 0.250, 0.190, 0.440, 0.440, 1.300, 1.190, 0.380, 0.170 हे. कुल रकवा 7.310 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाधात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्ररूप-ख एवं ग

संदीप जी.आर., कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

प्ररूप - ख
(नियम 05 देखिये)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट
प्र.क्र. 0003/अ-82/2025-26

1	परियोजना का नाम	कंदेला जलाशय योजना																
2	लोक प्रयोजन	कंदेला जलाशय योजना निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बढ़ेगा जिससे क्षेत्रवासियों का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा																
3	स्थल	ग्राम हड़ा पट.ह.नं.-37 तहसील जैसीनगर																
4	परियोजना का क्षेत्र	निजि भूमि 7.310 हे. अशासकीय भूमि																
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि कंदेला जलाशय निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है																
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर																
7	परियोजना निर्माण के चरण	कंदेला जलाशय निर्माण योजना प्रथम चरण																
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाला क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है																
9	परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि	मौजा हड़ा पट.ह.नं.-37 तहसील जैसीनगर की निजि भूमि 7.310 हे. अशासकीय भूमि																
10	भूमि का मूल्य	कलेक्टर गाइड लाइन वर्ष 25-26 अनुसार																
11	प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 03 के खण्ड ग के अनुसार)	16																
12	परिसंपत्तिया	लोक परिसंपत्ति - कोई लोक परिसंपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है																
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई परिवारों की संख्या <table><tr><td>अ.जा.</td><td>अ.ज.जा.</td><td>अन्य</td><td>योग</td></tr><tr><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td></tr></table> जिनके मकान अर्जित हुए परिवारों की संख्या <table><tr><td>अ.जा.</td><td>अ.ज.जा.</td><td>अन्य</td><td>योग</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	00	00	00	00	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	0	0	0	0
अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग															
00	00	00	00															
अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग															
0	0	0	0															
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण	निरक																
	(ख) समाघातों की संकेतक सूची	निरक																
15	विकल्प जिनपर विचार किया गया (क) यदि हो- तो वर्तमान प्रस्ताव की अधिमन्यता क्यों दी गई (ख) यदि नहीं तो क्यों	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि कंदेला जलाशय निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बढ़ेगा जिससे क्षेत्रवासियों का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा निरक																
16	निष्कर्ष	लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है क्षेत्र में जलाशय एवं नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकवा बढ़ेगा जिससे क्षेत्रवासियों की आय बढ़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुशासक करता है।																

प्ररूप -ग
(नियम 05 देखिये)

प्र.क्र. 0003/अ-82/2025-26

सामाजिक समाधात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाधातो के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय-

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित परिवारों की जीविका प्रभावित होने पर प्रभावित कुटुंबों को भू-अर्जन अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका-4 के तहत वार्षिकी या नियोजन के विकल्प उपलब्ध कराये जावे।
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं है
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के लोक परिवहन	प्रभावित नहीं है
4	जल मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं है
5	पेज जल स्रोत	प्रभावित नहीं है
6	पशुओं के लिए जल स्रोत	प्रभावित नहीं है
7	सामुदायिक तालाब	प्रभावित नहीं है
8	जन सुविधाएं (पोस्ट आफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत अपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल आगनवाडी, बाल उद्यान, समसान एवं कब्रस्तान)	प्रभावित नहीं है
9	वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में सामिल करेगा	कार्यपालन यंत्री, जल संसासन विभाग द्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 17/09/25 अनुसार प्रभावित परिवारों की जीविका का मुख्य स्रोत प्रभावित होने पर प्रभावित कुटुंबों को भू-अर्जन अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका-4 के तहत वार्षिकी या नियोजन के विकल्प उपलब्ध कराये जावेगे।
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में आपेक्षिक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाधात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाईयो के निष्कर्षों के प्रतिउत्तर में उनका जिम्मा लेगे	बिन्दु क्र.02 से लगायत 08 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नही है। अतः यह बिन्दु निरक है।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्रारूप-क
(नियम 04)

क्र. 723-भू-अर्जन-2026

सिवनी, दिनांक 19 फरवरी 2026

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम खैरीकला तहसील सिवनी के परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण ग्राम खापा से ग्राम खैरी मार्ग पर बैनगंगा नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण कार्य किये जाने हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

1	परियोजना विकासक का नाम	कार्यापालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग जबलपुर
2	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	ग्राम खापा से ग्राम खैरी मार्ग पर बैनगंगा नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण
3	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण	1 अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग सिवनी 3 नायब तहसीलदार, वृत्त बंडोल जिला सिवनी 4 संरपच एवं सचिव ग्राम पंचायत भाटीवाडा
4	भूमि का विवरण	
क	जिला	सिवनी
ख	तहसील	सिवनी
ग	ग्राम / नगर	खैरीकला
घ	कुल प्रभावित क्षेत्र	0.14 हे.
ड	अर्जित होने वाला क्षेत्र	0.14 हे.
5	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	ग्राम खापा से ग्राम खैरी मार्ग पर बैनगंगा नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण
6	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र 0.14 हे. एवं प्रभावित क्षेत्र 0.14 हे.
7	क्या ग्राम सभा और या भूमि धारक की सहमति अपेक्षित है	नहीं
8	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

- अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 20 फरवरी 2026

प्रकरण क्रमांक 0023/अ-82 वर्ष 2025-2026 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से विधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कड़िका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कड़िका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	-	पन्ना
(ख)	तहसील	-	देवेन्द्रनगर
(ग)	ग्राम	-	बड़ौरा प.ह.नं. 19
(घ)	क्षेत्रफल निजी भूमि	-	रकबा 0.7640 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	66/2/1 -	0.1162	निजी भूमि
2	67/1/2/1 -	0.0180	निजी भूमि
3	67/2/2/2/1/2 -	0.0100	निजी भूमि
4	101/1 -	0.0230	निजी भूमि
5	101/4/2 -	0.0070	निजी भूमि
6	101/6/2 -	0.0090	निजी भूमि
7	101/7/1 -	0.0120	निजी भूमि
8	103/1/1 -	0.1192	निजी भूमि
9	103/3/1 -	0.1450	निजी भूमि
10	104/1/1/2/1/1/1/1/2 -	0.0167	निजी भूमि
11	104/1/1/2/1/1/1/1/1/2 -	0.0102	निजी भूमि
12	104/1/1/1/1/1 -	0.0320	निजी भूमि
13	105/1 -	0.0576	निजी भूमि
14	104/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2 -	0.0110	निजी भूमि
15	104/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1 -	0.0143	निजी भूमि
16	104/1/1/1/2/1/1/3/1/1/2 -	0.0156	निजी भूमि
17	104/1/1/1/2/1/1/3/1/1/1 -	0.0232	निजी भूमि
18	106/1/3/6/1 -	0.0090	निजी भूमि
19	106/1/3/6/2 -	0.0050	निजी भूमि
20	106/1/3/7 -	0.0050	निजी भूमि
21	106/1/3/4/1 -	0.0100	निजी भूमि
22	106/1/3/5 -	0.0210	निजी भूमि
23	106/1/3/4/2 -	0.0120	निजी भूमि
24	106/1/3/8 -	0.0130	निजी भूमि
25	8/1/1/1 -	0.0100	निजी भूमि
26	8/2 -	0.0190	निजी भूमि
27	198/1/1 -	0.0200	निजी भूमि
	कुल रकबा :-	0.7640 हे०	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है ललितपुर-सतना, सीवा-सिंगरीली, महोबा-खजुराहो (541-कि०मी०) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/घूटे हुये रकबों का पूरक प्रस्ताव) हेतु ।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऊषा परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र.क्र. 328-भू-अर्जन-2026

सीधी, दिनांक 20 फरवरी 2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1) से (5) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खानें (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए)/356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011/33/2017/आई.ए.-आई (आर) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के बावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे. भूमि सिंचित होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 11 की उपधारा (1) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

" अनुसूची "

1- भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम	:-	गोतरा
तहसील	:-	कुसमी
जिला	:-	सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	7.3077 हे.

स. क्र.	खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे०)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	2444/3	0.0300		
2	2449	0.0200		
3	2450/1	0.1600		
4	2450/2/1.	0.2100		
5	2450/2/2.	0.3300		
6	2450/2/3.	0.3707		
7	2450/3.	1.0100		
8	2451/1	0.6000		
9	2451/2	0.1600		
10	2463/2/3.	0.1600		
11	2467/1/1.	0.0800		
12	2467/1/2.	0.0900		
13	2467/1/3.	0.1000		
14	2467/2	0.6400		
15	2468	0.9200		
16	2470/1	0.7000		
17	2470/2	0.8800		
18	2471	0.3000		

प. /

19	2472	0.1200
20	2473/1	0.0500
21	2473/2	0.0400
22	2475/1	0.2500
23	2475/2	0.0870
कुल	23 किता	7.3077 Ha.

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014/सात/सा-2/ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014/सात/सा-2/ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
4. अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा।
5. अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा।
6. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र. 330-भू-अर्जन-2026

द्वि कि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस सलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए)/356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर की स्वीकृति केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011/33/2017/आई ए-आई (आर) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के बावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे. भूमि सिंचित होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 11 की उपधारा (1) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

“ अनुसूची ”**1- भूमि का विवरण:-**

ग्राम का नाम	:- बजबई
तहसील	:- कुसमी
जिला	:- सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:- 0.8570 हे.

स. क्र.	खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे०)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	746/2	0.5000	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म.प्र.)	गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु।
2	747/2/1	0.0890		
3	747/2/2	0.0890		
4	747/2/3	0.0890		
5	750/2	0.0900		
कुल	5 किता	0.8570		

- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014/सात/सा-2/ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
- राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014/सात/सा-2/ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
- अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा।
- अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा।
- भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र. 332-भू-अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1) से (5) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खानें (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए)/356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011/33/2017/आई.ए.-आई (आर) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के बावत जहाँ पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है, वहाँ इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे. भूमि सिंचित होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 11 की उपधारा (1) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

“ अनुसूची ”

1- भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम	:-	ददरिहा
तहसील	:-	कुसमी
जिला	:-	सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	83.0994 हे.

स. क्र.	खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे०)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	96	0.0384	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म.प्र.)	गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु।
2	97	0.0110		
3	104	0.7216		
4	105	0.8200		
5	106	0.3800		
6	107	0.3300		
7	109	2.2900		
8	110	1.8800		
9	111/1/1	0.0800		

10	111/1/2	0.0400
11	111/1/3	0.0400
12	111/1/4	0.0400
13	111/1/5	0.0300
14	111/2/1	0.1200
15	111/2/2	0.1100
16	112	0.2900
17	114	0.0800
18	115	0.2100
19	116	0.4400
20	117	0.2300
21	118/1	0.3750
22	118/2	0.0700
23	119	0.7100
24	120/1	0.0625
25	120/2	0.1075
26	121	0.1200
27	122	0.2600
28	123	0.0200
29	124	0.2900
30	125	0.2300
31	126	0.1300
32	127	0.1500
33	128	0.0300
34	129	0.0821
35	130/1	0.2025
36	130/2	0.1725
37	130/3	0.0750
38	186	0.0229
39	188	0.0989
40	189	0.0954
41	190	0.1800
42	191	0.0200
43	192/1	0.0700
44	192/2	0.0700
45	192/3	0.2000
46	192/4	0.1600
47	192/5	0.1200
48	192/6	0.1100
49	194	0.4000
50	196/1	0.0300

५

51	196/2	0.0300
52	196/3	0.0300
53	198/1/1	0.1700
54	198/1/2	0.1700
55	198/2/1	0.0600
56	198/2/2	0.0500
57	198/2/3	0.0500
58	198/2/4	0.0600
59	198/2/5	0.0600
60	198/2/6	0.0600
61	199	0.3100
62	200/2	0.0100
63	202	0.1800
64	203	0.4700
65	204	0.5381
66	228/1	0.0300
67	228/2	0.0500
68	228/3	0.0200
69	228/4	0.0900
70	229	0.0614
71	233	0.0700
72	234	0.1000
73	235/1	0.0343
74	235/2	0.0344
75	236/1	0.0004
76	236/2	0.0004
77	236/3	0.0004
78	237/1	0.0016
79	237/2	0.0017
80	253	0.0090
81	254	0.1649
82	255	0.1521
83	260	0.1068
84	262	0.0264
85	263	0.0200
86	274/1	0.1500
87	274/2	0.0400
88	275	0.0393
89	276	0.4200
90	277	0.2433
91	278	0.0200

92	279/1	0.0695
93	279/2	0.1400
94	280	0.5448
95	281	0.0400
96	282	0.4600
97	283	0.3700
98	284	0.2008
99	285	0.3300
100	286	0.4000
101	287	0.4000
102	288	0.2000
103	289	0.2800
104	290	1.4100
105	291/1	0.1900
106	291/2	0.1900
107	292/1	0.1500
108	292/2	0.2200
109	292/3	0.0400
110	293/1	0.1800
111	293/2	0.1800
112	294	0.3200
113	297/2	0.2700
114	299	0.1300
115	300/1	0.2800
116	300/2	0.1100
117	301/1	0.1700
118	301/2	0.1800
119	302/1	0.1000
120	302/2	0.1000
121	305	0.2200
122	306/1	0.3300
123	306/2	0.3900
124	307	0.1800
125	308	0.0600
126	309	0.7000
127	310/1	1.0100
128	310/2	0.3100
129	311	0.1100
130	312	1.0800
131	313	0.1100
132	314	0.2400

133	315	0.1700
134	316	0.4000
135	318/2	0.4000
136	319/2	0.2300
137	320	0.1500
138	321	0.1500
139	322	0.1200
140	323	0.2700
141	324	0.4200
142	325	0.2600
143	327	1.2100
144	328	0.5200
145	329	0.1800
146	330	0.4900
147	331	0.0900
148	332	0.0700
149	333	0.0900
150	334	0.1100
151	335	0.1800
152	337	0.5000
153	338	0.3700
154	339	0.0700
155	340	0.0600
156	341	0.0930
157	342/1	0.0038
158	342/2	0.0039
159	343	0.0372
160	344	0.0399
161	345	0.1300
162	346/1	0.1600
163	346/2	0.1600
164	347	0.4000
165	348	0.6100
166	350	0.6200
167	351	0.6000
168	352	0.6400
169	356/1	0.2100
170	356/2	0.2100
171	356/3	0.1900
172	357/1/1	0.3000
173	357/1/2	0.1600

174	357/2/1	0.3200
175	357/2/2	0.3300
176	357/3/2	0.5000
177	360	0.2100
178	362/2	0.1000
179	363	0.6340
180	364	0.4600
181	365	0.1400
182	366	0.1400
183	367	0.5500
184	368	0.1300
185	369	0.2400
186	371	0.0800
187	372	0.0500
188	373	0.0800
189	378/1	0.0600
190	378/2	0.0500
191	378/3	0.0400
192	378/4	0.0400
193	379/1	0.0500
194	379/2	0.0400
195	379/3	0.0600
196	379/4	0.0600
197	380/1	0.0600
198	380/2	0.0700
199	380/3	0.0600
200	380/4	0.0600
201	384	0.4000
202	385	0.8000
203	386	0.0600
204	388	0.0300
205	389	0.8100
206	390	0.9500
207	391	0.7800
208	392	0.7500
209	393	0.8100
210	394/1	2.4400
211	394/2	0.1200
212	394/3	1.2700
213	394/4	0.7300
214	395	0.0430

215	396	0.4600
216	397/1	0.3000
217	397/2	0.3000
218	397/3	0.3000
219	397/4	0.3100
220	398	1.7300
221	399	0.7500
222	400	0.3000
223	401	0.1600
224	402/1	0.5500
225	402/2	0.1100
226	403	0.1600
227	404	0.3000
228	406/2	1.1900
229	407	0.3600
230	408	0.3900
231	409	0.1200
232	410	0.2100
233	411	0.4100
234	412	0.1500
235	413	4.7300
236	414/1	0.0600
237	414/2	0.2600
238	415	1.0500
239	416	0.0500
240	417	1.2100
241	418	0.0400
242	419	0.9300
243	420	0.5700
244	422	0.1400
245	423	0.3700
246	424/1	0.0500
247	424/2	3.7600
248	425	0.1500
249	426	0.6200
250	427	0.7300
251	428	0.2100
252	429	0.6900
253	430	1.0000
254	431	0.3100
255	432	0.6300

256	433	0.2800
257	434/1	0.8300
258	434/2	0.1800
259	436	0.6300
कुल	259 किता	83.0994

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014/सात/सा-2/ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014/सात/सा-2/ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
4. अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा।
5. अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा।
6. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र. 334-भू-अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1) से (5) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खानें (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए)/356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011/33/2017/आई.ए.-आई (आर) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के बावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे. भूमि सिंचित होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 11 की उपधारा (1) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

" अनुसूची "

1- भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम	:-	गुड्डाआधार
तहसील	:-	कुसमी
जिला	:-	सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	210.5757 हे.

स क्र.	खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे०)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	2/1	0.3170	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म.प्र.)	गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु।
2	2/2	0.0530		
3	3/1	0.8400		
4	3/2	0.1300		
5	3/3	0.1300		
6	4/1	0.0200		
7	4/2	0.6400		
8	6	0.1300		
9	7/1/1	0.0200		

9	7/1/1	0.0200
10	7/1/2	0.1200
11	7/2/1	0.6000
12	7/2/2	0.4000
13	8/1	0.4630
14	8/2	0.0770
15	9/1	1.1200
16	9/2	0.1800
17	10/1	0.1200
18	10/2	0.3200
19	10/3	0.3200
20	10/4	0.3200
21	11	1.4300
22	12	0.1600
23	13	0.1300
24	14	0.1000
25	15	0.0900
26	16/1	0.0200
27	16/2	0.0800
28	16/3	0.0800
29	16/4	0.0800
30	17/1	0.0540
31	17/2	0.0260
32	18	0.3800
33	19	0.1700
34	20	0.4100
35	21	0.2700
36	22	0.1400
37	23	0.1400
38	24	0.1400
39	25	0.2200
40	26/1	0.3270
41	26/2	0.1630
42	27	0.4500
43	28/1	0.2400
44	28/2	0.3300
45	29/1	0.1400
46	29/2	0.2800
47	30	0.0300
48	31	0.5500
49	32/1	0.1800

50	32/2	0.1800
51	33	0.3700
52	34	0.4700
53	35/1	0.0940
54	35/2	0.0460
55	36	0.1400
56	37	0.1400
57	38	0.1400
58	39	0.1300
59	40/1	0.1800
60	40/2	0.1800
61	41/1	0.2500
62	41/2	0.2500
63	42	1.4600
64	43/1	0.0200
65	43/2	0.0200
66	43/3	0.0200
67	45	0.1000
68	46	0.2000
69	49	0.0100
70	50	0.0200
71	51	0.0300
72	52	0.8200
73	53	0.3900
74	54/1	0.3200
75	54/2	0.3200
76	55/1	0.3100
77	55/2	0.3000
78	55/3	0.3000
79	56/1	0.4500
80	56/2	0.0800
81	57	0.1600
82	58	0.2000
83	60	0.3000
84	61	0.4300
85	62	0.0700
86	63/1	0.0530
87	63/2	0.0180
88	64/1	0.2030
89	64/2	0.0680
90	65/1	0.3280

91	65/2	0.0820
92	66	0.1800
93	67/1	0.1880
94	67/2	0.0630
95	68	0.3600
96	69/1	0.2500
97	69/2/1	0.0500
98	69/2/2	0.2000
99	69/3	0.1700
100	70	0.4000
101	71	0.1800
102	72	0.4600
103	73	0.3500
104	74	0.3600
105	75	0.4000
106	76	0.4800
107	77	0.1600
108	81	0.0900
109	82/1	2.5900
110	82/2	0.4300
111	83	0.1900
112	84	0.2000
113	86	0.3600
114	87	1.0500
115	88	1.1900
116	89	0.9900
117	90/1	0.7600
118	90/2	0.7600
119	91	1.1900
120	92	0.1600
121	93	0.1300
122	94/1	0.0900
123	94/2	0.0900
124	95	0.6200
125	96/1	0.3750
126	96/2	0.3750
127	97	0.0200
128	98/1	0.1300
129	98/2	0.1300
130	99	0.3300
131	100	1.5900

132	101/1	0.4400
133	101/2	0.2200
134	102	0.0800
135	103/1/1	0.0700
136	103/1/2	0.0200
137	103/2/1	0.0840
138	103/2/2	0.0160
139	104	0.0800
140	105	0.3500
141	106/1	0.0600
142	106/2/1	0.0300
143	106/2/2	0.0300
144	107/1/1	0.2150
145	107/1/2	0.2150
146	107/2	0.1400
147	108	0.1600
148	109/1	1.9400
149	109/2	0.0400
150	110	0.0300
151	111	0.4100
152	112	0.0600
153	113	0.2500
154	114	0.0300
155	115	0.1700
156	116	0.6900
157	117	0.1900
158	118/1	0.3760
159	118/2	0.0940
160	119	0.1100
161	120	0.2300
162	121	0.0600
163	122	0.2500
164	123	0.2000
165	124	0.2500
166	125	0.0300
167	126	0.0400
168	127	0.3700
169	128	0.2500
170	129	0.2700
171	130/1	0.6300
172	130/2	0.0400

173	131	0.0600
174	132	0.0500
175	133	0.0900
176	134	0.0400
177	135	0.0982
178	137	0.3100
179	138/1	0.0330
180	138/2	0.0170
181	139/1	0.0470
182	139/2	0.0230
183	140	0.0900
184	141	0.0700
185	142	0.1400
186	143	0.0800
187	144/1	0.0600
188	144/2	0.0300
189	145	0.1900
190	146/1	0.0660
191	146/2	0.0340
192	147	0.1800
193	148	0.1700
194	149	0.1900
195	150	0.1000
196	151	0.0700
197	155	0.1100
198	157	0.1720
199	158	0.0200
200	159	0.3713
201	161	0.0766
202	162	0.0730
203	163	0.0557
204	164	0.0398
205	165	0.0641
206	166	0.0776
207	169	0.0544
208	175	0.3700
209	176/1/1	0.1600
210	176/1/2	0.1200
211	176/2	0.1300
212	177	0.0500
213	178/1	0.1230

214	178/2	0.1230
215	179	0.0825
216	180	0.0405
217	181	0.0500
218	182	0.0641
219	187/1	0.0110
220	187/2	0.0110
221	187/3	0.0110
222	187/4	0.0110
223	187/5	0.0150
224	188	0.1127
225	189/1	0.0970
226	189/2	0.0900
227	189/3	0.0950
228	190	0.1685
229	214	0.0153
230	215/1	0.0760
231	215/2	0.0750
232	225	0.1199
233	226	0.0700
234	227/1	0.0300
235	227/2	0.0200
236	228/1	0.0900
237	228/2	0.0300
238	229/1	0.0200
239	229/2	0.0300
240	230/1	0.1600
241	230/2	0.1600
242	230/3	0.1500
243	230/4	0.1500
244	231	0.3400
245	232	0.0800
246	233	0.1000
247	234/1	0.0540
248	234/2	0.0260
249	235	0.0800
250	236	0.0700
251	237/1	0.2700
252	237/2	0.2600
253	239/1	0.0500
254	239/2	0.0400

255	240	0.3400
256	242	0.1700
257	243	0.0700
258	244	0.1500
259	245/1	0.1200
260	245/2	0.0600
261	246	0.1300
262	247	0.2000
263	248	0.1100
264	249	0.3902
265	250	0.2600
266	251	0.0800
267	252/1	0.0400
268	252/2	0.0200
269	253	0.0400
270	254	0.0200
271	255	0.1000
272	256	0.1163
273	257	0.0167
274	258	0.0050
275	259	0.2192
276	265	0.0070
277	266	0.0300
278	267	0.0700
279	268	0.0300
280	269	0.0400
281	270	0.0600
282	271	0.0400
283	272	0.0500
284	273/1	0.0300
285	273/2	0.0310
286	273/3	0.0310
287	274/1	0.0600
288	274/2	0.0300
289	275/1	0.0600
290	275/2	0.0400
291	275/3	0.0400
292	278	0.0227
293	360	0.2917
294	361	0.0600
295	363	0.0090

296	364	0.0450
297	370	0.0100
298	371/1	0.0080
299	371/2	0.0070
300	385	0.0500
301	386	0.0700
302	387	0.0600
303	388	0.0600
304	389	0.0900
305	390	0.0657
306	391	0.1600
307	392	0.0430
308	393	0.0110
309	394	0.0800
310	395	0.1030
311	396	0.0600
312	397	0.0400
313	398/1	0.3600
314	398/2	0.1200
315	399	0.1800
316	401/2	0.4300
317	403	0.0800
318	405	0.1200
319	406	0.5026
320	407	0.1317
321	408/1	0.0600
322	408/2	0.0600
323	409	0.0930
324	410	0.1700
325	411	0.1478
326	412	0.8639
327	413	0.1300
328	414	0.3700
329	415	0.1200
330	416	0.2200
331	417	0.1400
332	418	0.4000
333	419	0.1500
334	420	0.0700
335	421	0.4500
336	423/1/1	0.0600

337	423/1/2	0.0250
338	423/1/3	0.0650
339	423/1/4/1	0.0300
340	423/1/4/2	0.1200
341	423/1/5	0.0600
342	423/2	0.0400
343	424	0.0800
344	426	0.1700
345	427	0.0900
346	428	0.0400
347	429	0.4000
348	431/1	0.0400
349	431/2	0.0320
350	431/3	0.0360
351	431/4/1	0.0220
352	431/4/2	0.0600
353	432	0.1400
354	433	0.0100
355	434	0.1600
356	435	0.1300
357	436	0.1300
358	437/1	0.1500
359	437/2	0.1600
360	438	0.1600
361	439/1	0.0800
362	439/2	0.0800
363	440	0.2600
364	441	0.2500
365	442	0.7500
366	443	0.4600
367	444	0.3500
368	445	0.1300
369	446	0.0500
370	447	0.1400
371	448	0.3200
372	449	0.2300
373	450/1	0.0700
374	450/2	0.0700
375	450/3	0.0900
376	450/4	0.0700
377	450/5	0.0700

378	451/1	0.0200
379	451/2	0.0200
380	451/3	0.0300
381	452	0.0300
382	453/1	0.0400
383	453/2	0.0400
384	453/3	0.0400
385	453/4	0.0400
386	453/5	0.0300
387	454	0.5200
388	455	0.3100
389	456/1	0.0600
390	456/2	0.0600
391	457/1/1	0.0500
392	457/1/2	0.0580
393	457/2	0.0120
394	458/1	0.1080
395	458/2	0.0120
396	459	0.0800
397	460	0.4200
398	461/1/1/1	0.2000
399	461/1/1/2	0.2320
400	461/1/2	0.1080
401	461/2	0.1000
402	462/1/1/1	0.1260
403	462/1/1/2	0.1260
404	462/1/2	0.0700
405	462/2	0.2400
406	463/1	0.4900
407	463/2/1	0.1170
408	463/2/2	0.0130
409	463/3	0.3000
410	466/1	0.0500
411	466/2	0.0200
412	466/3	0.0500
413	468	0.0700
414	469/1	0.0200
415	469/2	0.0200
416	470	0.0600
417	471	0.0600
418	472	0.0400

419	473	0.0300
420	474	0.0100
421	475	0.0600
422	476	0.0100
423	477	0.0700
424	478	0.0100
425	479	0.0100
426	480	0.0300
427	481	0.0400
428	482/1	0.0200
429	482/2	0.0200
430	483	0.0100
431	484	0.0300
432	485	0.0600
433	486	0.0200
434	487	0.6500
435	488	0.5700
436	489	0.6700
437	490	0.2800
438	491/1	0.2700
439	491/2	0.2800
440	492	1.2000
441	493/1	0.3900
442	493/2	0.3900
443	494	1.2838
444	496	0.4000
445	497	0.0500
446	498	0.0200
447	499	0.6540
448	500	0.2400
449	502/1	0.0480
450	502/2	0.0120
451	502/3	0.0120
452	509	0.3450
453	510	0.0530
454	522	0.0660
455	523/1	0.7000
456	523/2	0.2300
457	524	0.2600
458	525	0.2500
459	526/1/1	0.2400

460	526/1/2	0.2400
461	526/1/3	0.1400
462	526/1/4	0.2500
463	526/1/5	0.2500
464	526/1/6	0.1100
465	526/2	0.0700
466	527/1	0.0240
467	527/2	0.0240
468	538	0.1100
469	575	0.3850
470	579	0.0506
471	580	0.6200
472	581	0.1900
473	582	0.1070
474	583	0.3739
475	584	1.0711
476	585	1.3200
477	586	0.0600
478	587/1	0.1540
479	587/2	0.0260
480	588	0.4000
481	589	0.1100
482	590	0.0400
483	591	0.1089
484	592	0.4000
485	593/1	0.0940
486	593/2	0.0260
487	594	0.8000
488	595/1	0.2060
489	595/2	0.0340
490	596/1	0.0430
491	596/2	0.0070
492	597	0.1266
493	599	0.0338
494	600/1	0.3430
495	600/2	0.0570
496	601	0.0976
497	602/1	0.0300
498	602/2	0.0300
499	602/3	0.0300
500	602/4	0.0300

501	609/1	0.0423
502	609/2	0.0500
503	610/1	0.0605
504	610/2	0.0322
505	610/3	0.0150
506	611/1	0.0294
507	611/2	0.0536
508	611/3	0.0540
509	612	0.2940
510	614	0.1400
511	615/1	0.2720
512	615/2	0.0680
513	616	0.2600
514	617	0.359
515	620	0.0687
516	622	2.3000
517	623	0.1200
518	624	0.0600
519	625	0.0700
520	626/1	0.0200
521	626/2	0.0200
522	626/3	0.0200
523	627	0.1700
524	628/1	0.0700
525	628/2	0.0100
526	629	0.2700
527	630	0.6500
528	631/1	0.0780
529	631/2	0.0120
530	632	0.0800
531	633/1	0.0600
532	633/2	0.0100
533	642/1	0.7700
534	642/2	0.7700
535	643/1/1	0.1200
536	643/1/2	0.1300
537	643/1/3	0.1300
538	643/2	0.3900
539	643/3	0.3900
540	643/4	0.3900
541	644/1/1	0.0600

542	644/1/2	0.0600
543	644/1/3	0.0600
544	644/2	0.1900
545	644/3	0.1900
546	644/4	0.1900
547	646	1.7400
548	647	0.2204
549	648	0.5923
550	649	0.8000
551	651/1/1	0.0900
552	651/1/2	0.0900
553	651/1/3	0.0900
554	651/2	0.2800
555	651/3	0.2800
556	651/4	0.2700
557	653/1	0.0200
558	653/2	0.0200
559	653/3	0.0200
560	654	0.2300
561	655	0.1600
562	656/1	0.0600
563	656/2	0.0100
564	657	0.3600
565	658	0.1400
566	659	0.0500
567	660	0.4200
568	662/1	0.0750
569	662/2	0.0750
570	690	0.0144
571	692	0.0372
572	693	0.2030
573	694/1	0.0750
574	694/2	0.0750
575	695	0.1634
576	696	0.2800
577	697/1/1	0.2400
578	697/1/2	0.2400
579	697/1/3	0.2400
580	697/2	0.7110
581	697/3	0.7110
582	697/4	0.6900

583	698/1	0.0900
584	698/2	0.0900
585	699/1	0.4000
586	699/2	0.4700
587	699/3	0.4800
588	700/1	1.2100
589	700/2	1.2100
590	702/1	0.5000
591	702/2	0.5000
592	702/3	0.5000
593	702/4	0.5000
594	702/5	0.5200
595	703	0.8200
596	704/1/1	0.0280
597	704/1/2	0.3120
598	704/2	0.3700
599	705/1	0.1900
600	705/2	0.1900
601	705/3	0.1900
602	705/4	0.1900
603	705/5	0.1800
604	708/1/1	0.2300
605	708/1/2	0.2300
606	708/2/1	0.3000
607	708/2/2	0.1600
608	709	0.5625
609	710/1/1	0.3000
610	710/1/2	0.3100
611	710/2	0.1800
612	710/3	0.3140
613	710/4	0.0900
614	711	0.3020
615	712	0.0200
616	715	0.2888
617	740	0.4629
618	743/1	0.3000
619	743/2	0.3000
620	744	0.3600
621	745/1	0.2800
622	745/2	0.2800
623	746/1	0.0900

624	746/2	0.0800
625	747	0.1600
626	748	0.5156
627	749	0.0250
628	752	0.2260
629	757	0.2300
630	758	0.1100
631	760	0.1800
632	761/1	0.1320
633	761/2	0.1320
634	762	0.5603
635	764	0.7872
636	765/2	0.2200
637	766/1	0.0600
638	766/2	0.0660
639	766/3	0.0660
640	767/1	0.2900
641	767/2	0.3100
642	767/3	0.2800
643	770/1/1	0.0900
644	770/1/2	0.0800
645	770/1/3	0.0800
646	770/2	0.1420
647	770/3	0.1420
648	770/4	0.1440
649	771/1	0.0400
650	771/2	0.0500
651	771/3	0.0500
652	772	0.0900
653	773/1	0.0400
654	773/2	0.0500
655	773/3	0.0400
656	774	0.2000
657	775	0.1100
658	776	0.1100
659	778	0.1300
660	779	0.1400
661	780	0.0200
662	781	0.1300
663	782	0.1300
664	783	0.1200

665	784	0.0500
666	785	0.1200
667	786	0.1200
668	787	0.1500
669	788	0.2100
670	789/1/1	0.0100
671	789/1/2	0.0800
672	789/2	0.1600
673	790	0.8413
674	793	0.3455
675	794	0.2426
676	795	0.2068
677	796/1	0.1300
678	796/2	0.2400
679	797	0.2757
680	798/1	0.3010
681	798/2	0.2000
682	799	0.3356
683	800	0.3200
684	801	0.3400
685	802	0.9786
686	803/2	0.4000
687	804/2/1	0.0600
688	804/2/2	0.1000
689	804/2/3	0.0800
690	804/2/4	0.0800
691	804/2/5	0.0800
692	805	0.0300
693	806	0.4300
694	807	0.2700
695	808	0.8625
696	809	1.2470
697	810	0.2696
698	814/3	0.1030
699	821/2	0.1412
700	837	0.1300
701	838	0.0300
702	839	0.0600
703	849	0.2000
704	863/1	0.0700
705	863/2	0.0700

706	864/1	1.2000
707	864/2	0.3000
708	865	0.0660
709	866	0.5300
710	867/1	0.1030
711	867/2	0.3080
712	869	0.2700
713	870	0.6000
714	871	0.0500
715	872	0.9131
716	873	0.7972
717	874	1.0300
718	875/1	0.3000
719	875/2	0.1500
720	875/3	0.1600
721	876	1.2000
722	879	0.5097
723	880	0.3150
724	881	0.0300
725	882	0.0297
726	883/1	0.0781
727	883/2	0.2500
728	884	0.0790
729	885	0.1272
730	886	0.1108
731	887	0.2257
732	888	0.1607
733	889	0.2071
734	893/1	0.0760
735	893/2	0.0750
736	893/3	0.0760
737	894/1	0.3200
738	894/2/1	0.3200
739	894/2/2	0.1200
740	894/3	0.3100
741	894/4	0.2100
742	894/5	0.3100
743	894/7	0.1400
744	894/8	0.3100
745	894/9	34.0000
746	895	0.7800

747	896	0.5500
748	899/1/1/1	0.1200
749	899/1/1/2	0.2400
750	899/1/2	0.2400
751	899/2	0.4000
752	900	0.4100
753	901/1	0.0620
754	901/2	0.0640
755	901/3	0.0620
756	902	0.3140
757	903	0.0300
758	904/1	0.1800
759	904/2	0.1900
760	905/1	0.0060
761	905/2	0.0060
762	906/1	0.4900
763	906/2	0.4900
764	906/3	0.4800
765	907	0.4100
766	908	0.6200
767	909	0.1150
768	911	0.2880
769	912	0.6626
770	913/1	0.0500
771	913/2	0.0400
772	926/1	0.1600
773	926/2	0.1490
774	927	0.1200
775	928	0.0750
776	929/1	0.1260
777	929/2	0.2300
778	930	0.0400
779	931/1	0.0090
780	931/2	0.0100
781	932	0.0873
782	933	0.1422
783	968	0.1650
784	969	0.0280
785	1083	0.0215
786	1094/1	0.4100
787	1094/2	1.6200

789	1094/4	1.2300
790	1094/5	0.4900
791	1097	0.7500
792	1098	0.3640
793	1099	0.0604
794	1100	0.9501
795	1107	0.4369
796	1132/2	0.1200
797	1133/2	0.0800
798	1184/1	0.1300
799	1184/2	0.1300
800	1184/3	0.1260
	800 किता	210.5757 ha.

- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014/सात/सा-2/ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
- राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014/सात/सा-2/ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
- अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा।
- अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा।
- भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र. 336-भू-अर्जन-2026

भूमि का राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1) से (5) में वर्णित भूमि का राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खानें (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए) / 356 / 2017 / एम.पी.एस. / 21 / 1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर की स्वीकृति कन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011/33/2017/आई ए-आई (आर) गड् दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के बावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे. भूमि सिंचित हानी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 11 की उपधारा (1) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसमें द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

" अनुसूची "

1- भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम	:- टमसार
तहसील	:- कुसमी
जिला	:- सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:- 40.3850 हे.

स. क्र.	खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे०)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	1002/1	0.3830	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म.प्र.)	गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु।
2	1002/2	0.4000		
3	1005/1	1.0000		
4	1006	1.2200		
5	1008	0.1000		
6	1015	0.0108		
7	1260/1	0.0660		
8	1260/2	0.0660		
9	1260/3	0.0680		

10	1261	0.1186
11	1262	0.3000
12	1263	0.1000
13	1264	1.3400
14	1266	0.2400
15	1267	0.1500
16	1268/1	0.3500
17	1269	0.5400
18	1270	0.2400
19	1271	0.2800
20	1272/2	0.1100
21	1273	0.5076
22	1274	0.0877
23	1284	0.1100
24	1285	0.6200
25	1286	0.9261
26	1288	0.1261
27	1289	1.0708
28	1290	1.5000
29	1291	0.3800
30	1292	0.3147
31	1293	0.1400
32	1297	0.0937
33	1298	0.4460
34	1299	0.0272
35	1304	1.6718
36	1307	1.7400
37	1312	0.3700
38	1313	0.0200
39	1314	0.2900
40	1315	0.0300
41	1316	0.0292
42	1333	0.8000
43	1334	0.1550
44	1335	0.0100
45	1336	0.0300
46	1337	0.0570
47	1338	0.3700
48	1339	0.5622
49	1340	0.1122
50	1341	0.0300

51	1406	0.0406
52	1407	0.2130
53	1408	0.3300
54	1409	0.3100
55	1410	1.0400
56	1411	1.1200
57	1416	0.5300
58	1417/1	0.2800
59	1417/2	0.2700
60	1427	0.2122
61	1431	0.4300
62	1529	1.9133
63	1530	1.1291
64	1531/1	0.5100
65	1531/2	0.1800
66	1531/3	0.1800
67	1531/4	0.5100
68	1532/1	0.9800
69	1532/2	
70	1532/3	
71	1532/4	
72	1532/5	
73	1532/6	
74	1532/7	
75	1532/8	
76	1532/9	
77	1575/1	0.1160
78	1575/2	0.1160
79	1575/3	0.1160
80	1575/4	0.1160
81	1575/5	0.1160
82	1576	0.6500
83	1578	0.4200
84	1579	0.0400
85	1580	0.3109
86	1630	0.1701
87	1680/1	0.1900
88	1680/2	0.3670
89	1681/1	0.3800
90	1681/2	0.3700
91	1681/3	0.3700

2 /

92	1683	0.9461
93	1694	2.8130
94	1697/2	0.3600
95	1697/3	0.3600
96	1697/4	0.3600
97	1697/5	0.3600
98	1697/6	0.3600
99	1697/7	0.3600
100	1697/8	0.3600
101	1697/9	0.3700
कुल	101 किता	40.3850 Ha.

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014/सात/सा-2/ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करेगा उसे किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014/सात/सा-2/ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
4. अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी-भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा।
5. अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा।
6. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र. 338-भू-अर्जन-2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि को राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए)/ 356 / 2017, एम.पी.एस./ 21 / 1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011/33/2017/आई.ए-आई (आर) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के बावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे भूमि सिंचित होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 11 की उपधारा (1) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

" अनुसूची "

1- भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम	:-	ठाढ़ीपाथर
तहसील	:-	कुसमी
जिला	:-	सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	53.8862 हे.

स. क्र.	खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे०)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	200	0.1400	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म.प्र.)	गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु।
2	201	0.3018		
3	211/1	0.0640		
4	213/1	0.0150		
5	213/2	0.0350		
6	214	0.1495		

7	215/1	0.1200
8	215/2	0.1200
9	216	0.0900
10	220	0.3900
11	222/1	0.1500
12	222/2	0.1500
13	223/1	0.1950
14	223/2	0.1950
15	224/1	0.2430
16	224/2	0.2430
17	225/1	0.3350
18	225/2	0.3350
19	226/1	0.0700
20	226/2	0.0700
21	227	0.4600
22	228	0.1900
23	229	0.0600
24	230	0.0600
25	231/1	0.0550
26	231/2	0.0550
27	232/1	0.0060
28	232/2	0.0070
29	251/2	0.0200
30	251/3	0.2400
31	252/1	0.0800
32	252/2	0.1600
33	253	0.0900
34	254	0.2890
35	255	0.2140
36	256	0.3620
37	257	0.5600
38	258	0.2790
39	259	0.3800
40	260	0.1000
41	262/1	0.1350
42	262/2	0.1350
43	263/1	0.1100
44	263/2	0.1100
45	264/1	0.1290
46	264/2	0.1290
47	265/1	0.0500

48	265/2	0.0400
49	267	0.0000
50	268/1	0.1835
51	268/2	0.1830
52	269	0.0900
53	270	0.1800
54	271	0.1500
55	272	0.1100
56	273	0.2700
57	274	0.1600
58	275	0.0700
59	278	0.0400
60	279	0.1100
61	280/1	0.0200
62	280/2	0.0200
63	281	0.2100
64	282	0.3000
65	283	0.0400
66	284	0.3100
67	285	0.0200
68	286	0.1800
69	287	0.0800
70	288	0.0800
71	290	0.1600
72	291	0.2300
73	292	0.1200
74	293	0.1500
75	294	0.1000
76	295	0.2700
77	296	0.1300
78	297	0.0700
79	298/1	0.1500
80	298/2	0.1500
81	299	0.3300
82	300	0.4500
83	301	0.5000
84	302	0.2500
85	303	0.4000
86	304	0.1100
87	305	0.0900
88	306	0.4700

89	307	0.5300
90	308/1	0.1400
91	308/2	0.1400
92	308/3	0.1500
93	308/4	0.1400
94	309	0.5100
95	310	0.1600
96	311	0.3000
97	312	0.0300
98	313	0.0200
99	314	0.0300
100	315	0.0200
101	316/1	0.0800
102	316/2	0.0900
103	316/3	0.0900
104	316/4	0.0800
105	317	0.3800
106	318	0.1000
107	319	0.6600
108	320/1	0.7800
109	320/2	0.1700
110	321	0.0400
111	322	0.4800
112	323	0.7300
113	324	0.0400
114	325	0.2300
115	326	0.0800
116	327	0.3000
117	328/2	1.0000
118	329	0.9100
119	330	0.5000
120	331	0.3900
121	332	0.1600
122	333	0.2400
123	334	0.2400
124	335	0.7500
125	336	0.3000
126	337	0.2200
127	338	0.3800
128	339	0.0300
129	340	0.5200

130	341	0.1600
131	342/1	0.0900
132	342/2	0.0900
133	342/3	0.1000
134	343/1	0.0400
135	343/2	0.0800
136	344	0.1300
137	345	0.5100
138	346	0.5700
139	347	0.0500
140	348	0.2000
141	349/1	0.0500
142	349/2	0.1000
143	352	0.1180
144	366/1	0.0050
145	366/2	0.0050
146	366/3	0.0050
147	368	0.0882
148	369	0.2300
149	370	0.3800
150	371	0.0550
151	373/1	0.2000
152	373/2	0.2000
153	373/3	0.2100
154	374/1	0.0350
155	374/2	0.0350
156	375	0.3800
157	376/1	0.0950
158	376/2	0.0950
159	377/1	0.1000
160	377/2	0.1000
161	378/1/1	0.0200
162	378/1/2	0.0200
163	378/1/3	0.0200
164	378/2	0.0600
165	379/1/1	0.0500
166	379/1/2	0.0500
167	379/1/3	0.0500
168	379/2	0.1500
169	380/1/1	0.0400
170	380/1/2	0.0200

171	380/1/3	0.0200
172	380/2	0.0200
173	381/1/1	0.0200
174	381/1/2	0.0200
175	381/1/3	0.0200
176	381/2	0.0400
177	382	0.0489
178	385	0.1845
179	386	0.2545
180	387	0.3800
181	389	0.1000
182	390/1	0.1300
183	390/2	0.1300
184	391/1	0.1170
185	391/2	0.1170
186	392/1	0.1600
187	392/2	0.1500
188	393/1	0.1150
189	393/2	0.1150
190	394/1	0.1175
191	394/2	0.1175
192	396/1	0.1100
193	396/2	0.1100
194	400	0.0214
195	401	0.0480
196	402	0.1600
197	403	0.2300
198	404	0.3100
199	405	0.0600
200	406/1	0.0690
201	406/2	0.0690
202	406/3	0.0690
203	407	0.1310
204	408	0.0200
205	409	0.0500
206	410	0.1960
207	411	0.1492
208	418	0.0470
209	419	0.0300
210	421	0.0438
211	422	0.0260

212	423	0.0117
213	426	0.0020
214	428/1	0.0650
215	428/2	0.1450
216	429	0.0220
217	430	0.0300
218	431	0.0300
219	432	0.0400
220	433	0.0300
221	434	0.0500
222	435	0.0800
223	436	0.0700
224	437	0.0900
225	438/1	0.1400
226	438/2	0.1400
227	438/3	0.1400
228	439/1	0.0030
229	439/2	0.0030
230	439/3	0.0030
231	441	0.0180
232	462	0.0010
233	463	0.0500
234	470/2	0.0240
235	472	0.1300
236	474	0.0800
237	477/1	0.1300
238	477/2	0.0700
239	478	0.1900
240	479/1	0.0096
241	479/2	0.0096
242	479/3	0.0096
243	480/1	0.0180
244	480/3	0.0190
245	482	0.0580
246	483	0.1400
247	484	0.1400
248	485	0.2200
249	486	0.1000
250	487	0.1450
251	488/1	0.0400
252	488/2	0.0400

253	488/3	0.0400
254	489	0.1000
255	490	0.0579
256	491	0.1300
257	492	0.0800
258	493/1	0.0220
259	493/2	0.0220
260	494	0.0300
261	500/1	0.0110
262	500/2	0.0110
263	500/3	0.0130
264	501/1	0.0500
265	501/2	0.0500
266	501/3	0.0600
267	502	0.3200
268	503	0.2300
269	504	0.1170
270	505/4	0.0010
271	507/1	0.0030
272	507/2	0.0030
273	510	0.1320
274	511/1	0.0600
275	511/2	0.1470
276	512	0.1200
277	513	0.0300
278	514	0.2500
279	515	0.2200
280	516	0.0747
281	553	0.2620
282	554	0.1528
283	561	0.0160
284	562	0.0700
285	563	0.1900
286	564	0.0900
287	565	0.0400
288	566	0.1300
289	567	0.0900
290	568	0.2600
291	569/1	0.0600
292	569/2	0.0600
293	570/1	0.0650

294	570/2	0.0650
295	571/1	0.0500
296	571/2/1	0.0300
297	571/2/2	0.0300
298	572/1	0.0700
299	572/2/1	0.0300
300	572/2/2	0.0300
301	573	0.1800
302	574	0.4000
303	575	0.2500
304	576	0.1200
305	577	0.1400
306	578/1	0.0900
307	578/2	0.0900
308	578/3	0.0500
309	579/1	0.0200
310	579/2	0.0300
311	579/3	0.0400
312	579/4	0.1100
313	581/1	0.0500
314	581/2	0.0800
315	581/3	0.0800
316	583/2	0.0842
317	591/1	0.0600
318	591/2	0.0500
319	593/2	0.0640
320	603	0.0097
321	604	0.1900
322	606	0.0415
323	607/1	0.0060
324	607/2	0.0060
325	1084	0.1827
326	1087	0.0721
327	1088	0.0720
328	1182	1.0596
329	1210	0.0130
330	1213	0.6777
331	1232/1	0.1640
332	1238	0.0010
333	1245	1.4878
334	1248/2	0.1651

335	1254	1.1009	
336	1255	1.6921	
337	1270	1.1996	
338	330/1315	0.5400	
कुल	338 किता	53.8862	

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014/सात/सा-2/ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014/सात/सा-2/ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
4. अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा।
5. अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा।
6. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 340-भू-अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए)/356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011/33/2017/आई.ए.-आई (आर) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के बावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे. भूमि सिंचित होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 11 की उपधारा (1) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

" अनुसूची "

1- भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम	:- धुम्माडोल
तहसील	:- कुसमी
जिला	:- सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:- 46.3460 हे.

स. क्र.	खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे०)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2		4	5
1	2	0.0500	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म.प्र.)	गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु।
2	3/1/1	0.5020		
3	3/1/2	0.1670		
4	3/1/3	0.1670		
5	3/1/4	0.1680		
6	3/1/5	0.7360		
7	3/1/6	0.6860		
8	3/1/7	1.4725		
9	3/1/8	0.4080		
10	3/1/9	0.4800		

11	3/1/10	0.1600
12	3/1/11	0.1600
13	3/1/12	0.1600
14	3/2	0.4000
15	3/3	0.1730
16	4	0.3700
17	5	0.6100
18	6	0.6100
19	7	0.2100
20	8	0.2800
21	9	0.8100
22	10	0.9200
23	14	1.5858
24	16/1	0.0120
25	17	0.0680
26	18	0.1800
27	25	0.2057
28	26/1	0.5000
29	27	0.0230
30	33	0.0105
31	34	0.5442
32	35	0.0500
33	36	2.9953
34	37	0.1900
35	38	0.1900
36	39/1	0.0900
37	39/2	0.0800
38	40	0.0300
39	41	0.0300
40	42	0.1300
41	43	0.2000
42	44	0.0300
43	45	0.0300
44	46	0.2000
45	47	0.1900
46	48	0.0200
47	49	0.1900
48	50	0.1500
49	51/1	0.1700
50	51/2	0.1800
51	51/3	0.1800

52	51/4	0.1800
53	52	0.7000
54	53/1	0.1100
55	53/2	0.4100
56	54	0.5400
57	55	0.0600
58	59	0.3000
59	60	0.1900
60	61	0.2400
61	62	0.0900
62	63	0.3000
63	64	0.2900
64	65	0.1600
65	66	0.4444
66	67	0.6812
67	68/1/1	0.0500
68	68/1/2	0.0700
69	72	0.0857
70	73	0.0376
71	75/1	0.1500
72	75/2	0.1600
73	76/1	0.1200
74	76/2	0.1300
75	77/1	0.1800
76	77/2	0.1700
77	78/1	0.0500
78	78/2	0.0500
79	78/3	0.1500
80	78/4	0.1500
81	78/5	0.1500
82	78/6	0.1500
83	81/1	0.0100
84	81/2	0.0100
85	82	0.1060
86	83	0.0500
87	84	0.0500
88	89	0.0064
89	90/1	0.0900
90	90/2	0.0900
91	91/1	0.0600
92	91/2	0.0600

93	91/3	0.0600
94	92	0.0120
95	93	0.0215
96	94	0.0150
97	95	0.0184
98	96	0.0016
99	98/1	0.0800
100	98/2	0.0900
101	99	0.8300
102	100	1.1700
103	101/1	0.1700
104	101/2	0.2400
105	101/3	0.2400
106	102	0.1000
107	103	0.3700
108	107	0.0800
109	108	0.3600
110	109	0.2000
111	110	0.2400
112	111	0.1500
113	112/1	0.0600
114	112/2	0.0750
115	112/3	0.1000
116	114/1	0.1500
117	114/2	0.1500
118	115/1	0.1600
119	115/2	0.1700
120	116/1	0.1900
121	116/2	0.1900
122	117	0.2300
123	118	0.9700
124	119	0.6700
125	123	0.5900
126	124	0.5400
127	125	0.1759
128	126	0.3400
129	127	0.1537
130	128	0.3009
131	129	0.4700
132	131	0.0300
133	134/2	0.5000

134	136/1	0.0200
135	136/2	0.4000
136	136/3	0.4000
137	140	0.1900
138	145/1	0.2850
139	145/2	0.2850
140	145/3/1	0.0950
141	145/3/2	0.0950
142	145/3/3	0.0950
143	145/4	0.2850
144	207	0.2300
145	209	0.7400
146	210/2	0.4000
147	211/1	0.3600
148	211/2	0.3500
149	212	0.1860
150	214	0.0200
151	257	0.1260
152	259	0.1630
153	266/1	0.2900
154	266/2/1	0.0900
155	266/2/2	0.0900
156	266/2/3	0.1000
157	266/2/4	0.1000
158	266/2/5	0.1000
159	266/2/6	0.0900
160	268/1/1	0.0200
161	268/1/2	0.0200
162	268/1/3	0.0200
163	268/1/4	0.0200
164	268/1/5	0.0200
165	268/1/6	0.0200
166	268/2	0.0600
167	269/1	0.1000
168	269/2/1	0.0200
169	269/2/2	0.0200
170	269/2/3	0.0200
171	269/2/4	0.0200
172	269/2/5	0.0100
173	269/2/6	0.0100
174	274/1	0.1400

175	274/2	0.1300
176	275	0.6300
177	276	0.1500
178	278	2.7400
179	282	0.5700
180	285/1	0.0310
181	285/2	0.0310
182	292/1	0.0600
कुल	182 किता	46.3460 Ha.

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014/सात/सा-2/ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014/सात/सा-2/ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
4. अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा।
5. अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा।
6. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 342-भू-अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1) से (5) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु अनुसूची के खानें (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 22 (ए)/356/2017/एम.पी.एस./21/1785 भोपाल दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिला सीधी अन्तर्गत गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-12011/33/2017/आई.ए.-आई (आर) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के वावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित उपबन्ध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से सीधी एवं सिंगरौली जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 41250 हे. भूमि सिंचित होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 11 की उपधारा (1) के उपलब्ध के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

“ अनुसूची ”

1- भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम	:-	पोड़ी
तहसील	:-	कुसमी
जिला	:-	सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	39.5594 हे.

स क्र.	खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे०)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	4/1	0.3500	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म.प्र.)	गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नवीन स्थल गोतरा बैराज निर्माण हेतु।
2	4/2	0.3500		
3	4/3	0.3500		
4	4/4	0.3500		
5	5	0.4007		
6	6	0.4000		
7	7/1	0.6350		
8	7/2	0.6350		
9	8	0.9500		

10	9	0.0500
11	10	0.0300
12	11	0.8720
13	12/1	0.1600
14	12/2	0.1600
15	12/3	0.1590
16	12/4	0.1590
17	14/1.	0.0370
18	14/2.	0.0370
19	14/3.	0.0370
20	14/4.	0.0370
21	24	0.0668
22	27/2	0.4800
23	27/3	0.2440
24	28/1	0.1150
25	28/2	0.1150
26	28/3	0.1160
27	28/4	0.1150
28	45	0.7500
29	47	2.2500
30	48	1.8700
31	49	1.4800
32	50	0.5900
33	51	0.1300
34	52	0.1500
35	53	0.0800
36	54	0.8756
37	55	0.9600
38	56	0.5632
39	58	0.0991
40	60/1	0.0610
41	67	0.0766
42	69	0.0200
43	70	0.0265
44	71	0.1656
45	72	0.5398
46	77	0.0172
47	79	0.1007
48	80	0.2141
49	81	0.2800
50	82/1	2.0000

51	82/2	0.6700
52	83/1	0.6500
53	83/2	0.6400
54	84	1.2900
55	86/1	0.3800
56	86/2	0.3700
57	87/1	0.7300
58	87/2	0.7300
59	88	0.7800
60	89	0.6800
61	90	0.5600
62	91	0.6096
63	92	1.3949
64	93/1	0.2400
65	93/2	0.2380
66	94	0.1208
67	57	0.2000
68	98	0.0240
69	99	0.0050
70	254	0.9100
71	258/1	0.1100
72	258/2	0.4400
73	259	0.0900
74	260/1	0.2300
75	260/2	0.6100
76	261	0.1800
77	262	0.4400
78	265	0.1500
79	266	0.0700
80	267/1	0.0770
81	267/2	0.0400
82	267/3	0.0770
83	268/1	0.1200
84	268/2	0.1100
85	269/1	0.1330
86	269/2	0.1320
87	271	0.5009
88	272	0.3400
89	273	0.3824
90	274/1	0.1580
91	274/2/1	0.4000

92	274/2/2	0.3200
93	274/2/3	0.3200
94	275/2	0.0400
95	276/2	0.0380
96	277/1/1	0.0800
97	277/1/2	0.0600
98	277/2	0.1500
99	277/3	0.0500
100	278/2	0.0100
101	278/3	0.0250
102	279	0.9529
103	280/2	0.1890
104	281/1/2	0.0200
105	345/1	0.0200
106	347	0.0020
107	349	0.5600
कुल	107 किता	39.559 Ha.

- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014/सात/सा-2/ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सीधी को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
- राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 16-15 (7) 2014/सात/सा-2/ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 10 के पृ.क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सीधी अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कुसमी) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रकाशक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
- अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि को कोई स्वयं व्यवहार नहीं करेगा या कोई से स्वयं व्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा।
- अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के सम्बन्ध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा।
- भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 0006-अ-82-2025-26-1361

सागर, दिनांक 11 फरवरी 2026

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की राज्य शासन के विभाग कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर द्वारा सागर जिले के खुरई शहर में खुरई-रजवांस मार्ग एवं बीना-कटनी सेक्शन के 998/0-1 में समपार क्रमांक-8 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है। प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार सागर जिले के खुरई शहर में खुरई-रजवांस मार्ग एवं बीना-कटनी सेक्शन के 998/0-1 में समपार क्रमांक-8 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण से सुचारु आवागमन हो जावेगा तथा सागर जिले के खुरई शहर में खुरई-रजवांस मार्ग एवं बीना-कटनी सेक्शन के 998/0-1 में समपार क्रमांक-8 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि सागर जिले के खुरई शहर में खुरई-रजवांस मार्ग एवं बीना-कटनी सेक्शन के 998/0-1 में समपार क्रमांक-8 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु भूमि का अर्जन किया जाता है।

परियोजना का नाम

सागर जिले के खुरई शहर में खुरई-रजवांस मार्ग
एवं बीना-कटनी सेक्शन के 998/0-1 में समपार
क्रमांक-8 के एवज में आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य।

भूमि का विवरण:-

1-जिला	सागर
2-तहसील	खुरई
3-नगर पालिका	खुरई
4-अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल	1.133 हे०

::अनुसूची-1::

क.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल रकवा हेक्टेयर में	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता(राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	493 495 496/1	भूमि स्वामी	कृषि	1.35	0.29	विनय कुमार पिता धन्नालाल जैन
2	489/1 490/1 491/1	भूमि स्वामी	कृषि	7.88	0.44	अरविन्द्रकुमार पिता धन्नालाल जैन
3	504, 505, 506, 509, 510/1 510/2, 511/2	भूमि स्वामी	कृषि	3.12	0.15	धर्मेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र रिषभ कुमार जैन

4	384/1/4	भूमि स्वामी	कृषि	0.80	0.121	आभा पत्नि श्रीमंत सेठ धर्मेन्द्र कुमार
5	384/1/1 384/1/ड	भूमि स्वामी	कृषि	1.35	0.12	अशोक कुमार विनय कुमार पिता धन्नालाल आभा पति श्रीमंत सेठ धर्मेन्द्र कुमार
6	384/1/3	भूमि स्वामी	आवासीय पक्की दुकान निर्मित	1.35	0.012	राकेश कुमार, नरेश कुमार, राजेश कुमार पिता कुन्दनलाल मनोरमा गुडडी सुषमा पुत्री कुन्दनलाल
कुल 17 सर्वे नंबर				15.85 हे०,	1.133 हे०,	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-5-(7)-2014-सात-शा 2ए भोपाल दिनांक 2.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अनन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-5-(7)-2014-सात-शा 2ए भोपाल दिनांक 2.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई तथा समुचित सहयोग करेंगे एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संदीप जी.आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 55-भू-अर्जन-26-प्र.क्र.27-अ-82-2002-03

अलीराजपुर, दिनांक 16 फरवरी 2026

**अंतर्गत धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और
पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)**

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, निचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में शहीद चन्द्रशेखर आजाद सागर (जोबट) परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित नहर निर्माण कार्य हेतु तहसील कुक्षी के ग्राम कुक्षी की वर्णित भूमि जिसकी कृषकवार, सर्वे नम्बर वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है :-

// अनुसूची (1) //

ग्राम :- कुक्षी						तहसील :- कुक्षी			
स. क्र.	विवरण	खसरावार रकबा (हेक्टयर)				अर्जित रकबा (हेक्टयर)			
		सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल	सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
1	ग्राम कुक्षी	0.00	0.031	0.00	0.031	0.00	0.031	0.00	0.031

// अनुसूची (2) //

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टयर)	अर्जित किए जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टयर)			
				सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
1	निवेदिता पति महेन्द्र कुमार जाति पोरवाड़ पता निवासी कुक्षी भूमि स्वामी	237/6	0.052	0.00	0.021	0.00	0.021
2	उर्मिलाबाई पति जगदीश जाति पोरवाड़ पता निवासी कुक्षी भूमि स्वामी	237/7	0.026	0.00	0.010	0.00	0.010
योग		02	0.078	0.00	0.031	0.00	0.031

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र. 281-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.0032-अ-82(NH)-2025-2026

खरगोन, दिनांक 24 फरवरी 2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में "बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेक्ड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए" भूमि-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (2) एवं (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।" राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेक्ड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

विवरण	ग्राम बड़वाह की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेक्ड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।	निजी रकबा - 0.6369
	शासकीय रकबा - 1.3017
	कुल रकबा - 1.9386

—: अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:-	खरगोन
(ख) तहसील	:-	बड़वाह
(ग) ग्राम/नगर	:-	बड़वाह
(घ) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल	:-	0.6369 हे.

क. सं.	खसरा क्र.	अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
01	50/3/1	0.0013	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हेड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।
02	50/3/2			
03	51/1			
04	51/2/1			
05	51/4/2			
06	51/4/1	—		
07	74/1	0.3083		
08	63/1	0.0998		
09	63/2			
10	63/3			
11	63/4			
12	63/5			
13	63/6			
14	63/7			

क्र. सं.	खसरा क्र.	अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
15	53/1	0.1727	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हाड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।
16	53/2			
17	53/3			
18	53/4			
19	53/5			
20	63/9549			
21	63/27			
22	63/36			
23	63/31			
24	63/28			
25	63/29			
26	63/12			
27	63/9539			
28	63/9538			
29	63/9540			
30	63/4			
31	63/30			
32	63/32			
33	63/9547			
कुल रकबा		0.6369		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग-बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग-बड़वाह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 283-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.0034-अ-82(NH)-2025-2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में "बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए" भूमि-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (2) एवं (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।" राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—: अनुसूची (1) :—

विवरण	ग्राम बफलगांव की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।	निजी रकबा — 5.4847 शासकीय रकबा — 1.2509 कुल रकबा — 6.7356

-: अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- खरगोन
(ख) तहसील	:- बड़वाह
(ग) ग्राम	:- बफलगांव
(घ) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल	:- 5.4847 हे.

क्र. सं.	खसरा क्र.	अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
01	391/3/1	0.0422	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेक्ड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।
02	391/3/2			
03	391/5	0.0168		
04	391/4	0.0362		
05	391/7	0.0257		
06	392/1	0.1649		
07	392/2	0.1258		
08	199/3	0.0530		
09	263	0.4529		
10	259/1/1	0.0285		
11	259/1/2			
12	289/2	0.1276		
13	291/3	0.0022		
14	291/4	0.0349		
15	293/4	0.0372		
16	293/3	0.0139		
17	283	0.0737		
18	281/1	0.0666		
19	280/2/1	0.1563		
20	280/2/2	0.0204		
21	280/2/3	0.0204		
22	279/6/1	0.0733		
23	279/6/2			
24	279/3/1/1	0.0985		
25	279/3/1/2			

क्र. सं.	खसरा क्र.	अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
26	279/3/2	0.0092	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)	वड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।
27	279/2	0.1048		
28	278/1/1	0.0109		
29	278/1/2	0.0106		
30	278/2	0.0258		
31	278/3	0.0114		
32	273/4/1/1	0.0333		
32	273/4/1/2			
34	273/4/2			
35	272/1/1/1/1	0.0255		
36	272/1/1/1/2			
37	272/1/1/2			
38	272/1/2			
39	272/3	0.0258		
40	272/2	0.0025		
41	272/4/2	0.0416		
42	270/3	0.0581		
43	270/2/2	0.1287		
44	270/2/1	0.0032		
45	266/2/1/1/1	0.1370		
46	266/2/1/1/2			
47	266/2/1/2			
48	266/2/2			
49	266/5	0.0103		
50	266/6	0.0249		
51	266/4/1	0.0958		
52	266/4/2			
53	198/1/1/1/1/1	0.1123		
54	198/1/1/1/1/2			
55	198/1/1/1/2			
56	198/1/1/2			
57	198/1/2	0.0612		
58	198/2			

क्र. सं.	खसरा क्र.	अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
01	02	03	04	05	
59	199/2/1/1/1/1/1	0.1038	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।	
60	199/2/1/1/1/1/2				
61	199/2/1/1/1/1/2				
62	199/2/1/1/1/2				
63	199/2/1/1/2				
64	199/2/1/2				
65	199/2/2				
66	296/1				0.2241
67	305/1				0.0585
68	305/2/1				0.0266
69	305/2/2				0.0327
70	306				0.1720
71	307/1/1				0.1131
72	307/1/2				
73	307/2				0.0347
74	307/3	0.0515			
75	318/1/1/1/1	0.3232			
76	318/1/1/1/2				
77	318/1/1/2	0.0469			
78	320/6	0.1232			
79	320/1	0.0988			
80	325/1/1/1	0.1134			
81	325/1/1/2				
82	325/1/2	0.0255			
83	325/4/1/1/1/1	0.1477			
84	325/4/1/1/1/2				
85	325/4/1/1/2/1				
86	325/4/1/1/2/2				
87	325/4/1/2				
88	325/4/2				
89	325/6				
90	325/5/1	0.0554			
91	325/3/1/1	0.0652			
92	325/3/1/2	0.0233			
	367/2/1	0.0035	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।	
	369/3	0.0454			
	391/9	0.0707			
	391/1	0.7147			
	391/2/2	0.0215			
	391/2/1/1	0.0338			
	391/2/1/2/1				
	392/3	0.1516			
	कुल रकबा (ह.)	5.4847			

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग-बड़वाह के समक्ष में आवेगों, यदि कोई हो, फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग-बड़वाह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 285-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.0038-अ-82(NH)-2025-2026

धूमि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में "बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेक्ड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए" भूमि-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (2) एवं (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगुम सृजित नहीं करेगा।" राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेक्ड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—: अनुसूची (1) :—

विवरण	ग्राम गंगापुर भोरी अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेक्ड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।	निजी रकबा — 2.1980 शासकीय रकबा — 0.1168 कुल — 2.3168

-: अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:-	खरगोन
(ख) तहसील	:-	बड़वाह
(ग) ग्राम	:-	गंगापुर भोरी
(घ) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल	:-	2.198 हे.

क्र. सं.	खसरा क्र.	अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
01	1/1	0.6650	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।
02	1/3	0.3428		
03	1/5	0.0274		
04	4/6	0.0283		
05	4/1/1	0.8517		
06	4/1/2			
07	4/3	0.2828		
	कुल रकबा	2.198		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग-बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग-बड़वाह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 287-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.0033-अ-82(NH)-2025-2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में "बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए" भूमि-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (2) एवं (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।" राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—: अनुसूची (1) :—

विवरण	ग्राम जयमलपुरा की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।	निजी रकबा - 3.9551
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।	शासकीय रकबा - 0.3751
	कुल - 4.3302

-: अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:-	खरगोन
(ख) तहसील	:-	बड़वाह
(ग) ग्राम	:-	जयमलपुरा
(घ) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल	:-	3.9551 हे.

क्र. सं.	खसरा क्र.	अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
01	39/1/1	0.0050	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हाड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।
02	39/1/2	0.0050		
03	39/2/1	0.0200		
04	39/2/2	0.0190		
05	40/1	0.1025		
06	40/2	0.0212		
07	40/3	0.0293		
08	36/2/1	0.1343		
09	42/5/1	0.0484		
10	42/5/2	0.0130		
11	42/4	0.0672		
12	42/3	0.8500		
13	42/2	0.0803		
14	42/6/1	0.0141		
15	34/1	0.0759		
16	33/1	0.0808		
17	32/1	0.1520		
18	32/2	0.0642		
19	57/1/1	0.0155		
20	57/9	0.0054		
21	57/6	0.0064		
22	31/2	0.0612		
23	31/1	0.1657		
24	29	0.3443		
25	28	0.0344		
26	27	0.0435		

क्र. सं.	खसरा क्र.	अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
27	26	0.1414		
28	25	0.1517		
29	11/1	0.0220		
30	18/1	0.0257		
31	20/2	0.0361		
32	19	0.1187		
33	21/3/1	0.01189		
34	21/3/2			
35	21/1	0.0299		
36	21/4	0.0309		
37	22/3	0.0500		
38	22/2	0.0506		
39	22/1	0.0440		
40	21/5	0.0381		
41	18/5/1	0.0891		
42	18/3	0.0200		
43	11/13	0.0036		
44	12/1 शा.नं.-12/6 एवं 12/7	0.0374		
45	24/1	0.0470		
46	31/3	0.1657		
47	34/2/1/1	0.0689		
48	34/2/2	0.0121		
49	38/1	0.0010		
50	11/10	0.0220		
51	24/2	0.0160		
52	35/1/1	0.0534		

क्र. सं.	खसरा क्र.	अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
52	35/1/1	0.0534		
53	35/1/2 (NHAI)			
54	21/2/2/1/1/1	0.1898		
55	21/2/2/1/1/2			
56	21/2/2/2			
57	21/2/4			
58	57/10	0.0074		
59	24/3	0.0122		
60	24/4			
61	24/5			
62	24/6			
63	24/7			
64	24/8			
65	24/9			
66	24/10			
67	24/11			
68	24/12			
69	18/10			
70	18/2			
71	18/9			
72	18/8			
73	18/7			
74	12/2			
75	18/37			
कुल रकबा		3.9551		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुभाग-बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हों, फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग-बड़वाह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 289-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.0033-अ-82(NH)-2025-2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में "बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए" भूमि-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (2) एवं (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगन सृजित नहीं करेगा।" राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—: अनुसूची (1) :—

विवरण	ग्राम किट्टूद की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।	निजी रकबा — 6.1375 शासकीय रकबा — 3.8633 कुल — 10.0008

-: अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- खरगोन
(ख) तहसील	:- बड़वाह
(ग) ग्राम	:- कितूद
(घ) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल	:- 6.1375 हे.

क्र. सं.	खसरा क्र.	अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
01	191	0.4613	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।
02	194/2	0.0010		
03	192	0.0866		
04	203/1	0.5594		
05	203/2	0.0816		
06	208/2	0.6439		
07	208/5	0.1331		
08	208/6	0.6196		
09	208/1	0.1224		
10	209/1	0.5455		
11	212/1	0.2502		
12	213/1	0.1453		
13	221/2	0.1159		
14	222/1	0.0180		
15	222/2	0.1296		
16	227/1	0.1907		
17	228/1	0.2701		
18	228/2			
19	229/1/1	0.0223		
20	229/1/2			
21	237	0.1296		
22	240/1	0.0172		
23	240/2	0.0321		
24	240/3	0.0283		
25	250	0.1467		

क्र. सं.	खसरा क्र.	अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
26	251	0.2231	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।
27	185	0.0503		
28	186	0.0951		
29	179/1	0.1212		
30	179/2	0.0633		
31	178/2	0.0504		
32	174	0.0620		
32	173	0.0425		
34	171/1	0.0858		
35	171/2/1	0.0847		
36	171/2/2	0.0144		
37	170/1	0.0069		
38	170/2	0.0288		
39	170/6	0.0366		
40	170/8	0.0359		
41	165	0.1451		
42	164/1	0.0447		
43	164/2/1	0.0293		
44	164/2/2	0.0172		
45	164/3	0.0515		
46	158	0.0804		
47	193/1	0.0084		
48	227/2	0.0095		
कुल रकबा (हे.)		6.1375		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग-बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग-बड़वाह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 291-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र. 0037-अ-82(NH)-2025-2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में "बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 38 लंबाई 02.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए" भूमि-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिराका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (2) एवं (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, द्वारा के द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिरूपना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिरूपना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिरूपना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा।" राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 38 लंबाई 02.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समता का निर्धारण किया गया, जिराका भूल्यापन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—: अनुसूची (1) :—

विवरण	ग्राम अमलाथा की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 38 लंबाई 02.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।	निजी एकका — 0.1534 शाराकीय एकका — 0.3100 कुल — 0.4634

-: अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- खरगोन
(ख) तहसील	:- बड़वाह
(ग) ग्राम	:- अमलाथा
(घ) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल	:- 0.1534 हे.

क्र. सं.	खसरा क्र.	अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
01	90	0.1534	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।
	कुल रकबा (हे.)	0.1534		

रकबा
अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग-बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग-बड़वाह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 293-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.0038-अ-82(NH)-2025-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में "बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्डड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए" भूमि-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि, जिसका सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (2) एवं (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय-उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।" राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्डड शोल्डर के निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की, धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक-समाधात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

:- अनुसूची (1) :-

विवरण	ग्राम हमीरपुरा की अर्जित की जाने वाली भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोरलेन मय पेव्डड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।	निजी रकबा — 5.8890 शासकीय रकबा — 0.5802 कुल — 6.4692

:- अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- खरगोन
(ख) तहसील	:- बड़वाह
(ग) ग्राम	:- हमीरपुरा
(प) अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल	:- 5.8890 हे.

क्र. सं.	खसरा क्र.	अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04 /	05
01	4/1	0.0484	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सडक विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शौल्डर के निर्माण कार्य हेतु।
02	4/2	0.0050		
03	4/3	0.0370		
04	4/4	0.0594		
05	4/5	0.0567		
06	4/6	0.0553		
07	4/7	0.0429		
08	3/1/2	1.0554		
09	3/1/1/2			
10	3/1/1/1/2			
11	3/1/1/1/1/2			
12	3/1/1/1/1/1/2/2/2			
13	3/1/1/1/1/1/2/2/1			
14	3/1/1/1/1/1/2/1			
15	3/1/1/1/1/1/1/1			
16	1/11	0.2670		
17	1/12/1	0.0151		
18	1/12/2	0.0054		
19	1/2/1/1	0.0084		
20	1/2/1/2	0.0021		
21	1/2/2/1	0.0023		
22	3/7	0.0020		
23	1/18	0.0240		
24	1/1	0.0912		
25	3/2/1/1	0.0422		
26	3/2/1/2			

सि.	खसरा क्र.	अर्जन हेतु निजी भूमि का लगभग रकबा (हेक्टेयर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
27	3/2/2	0.3625	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमि. संभाग, इंदौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 लंबाई 62.80 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य हेतु।
28	3/3/1	1.3869		
29	3/3/2			
30	22/1	0.1857		
31	23/1	0.0167		
32	23/3	0.0050		
33	20	0.0060		
34	19	0.0069		
35	21/2	0.2674		
36	16/1/1	0.5392		
37	16/2	0.1707		
38	85	1.0419		
39	83	0.0020		
40	76/4	0.0512		
41	71	0.0010		
42	68	0.0221		
43	5/3	0.0010		
44	5/1	0.0010		
45	1/2/2/2	0.0010		
46	16/3	0.0010		
	कुल रकबा (हेक्टेयर)	5.889		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन तथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग-बड़वाह के समक्ष में आक्षेपों, यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग-बड़वाह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भव्या मित्तल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सोनकच्छ, जिला-देवास मध्यप्रदेश

क्र. न. 297-रीडर-2026

सोनकच्छ (देवास), दिनांक 20 फरवरी 2026

प्ररूप- "ख"

उद्धघोषणा

(नियम-5 का उपनियम (2) के तहत)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास विभाग संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन म.प्र. के पत्र क्रमांक 1126 दिनांक 04.04.2025 के अनुसार आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-1। लिफ्ट माइक्रो उद्भवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले के ग्राम गुराडियारूपा तहसील सोनकच्छ में मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के तहत भूमि गत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा(1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा।

क्र.	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे. मे)	भूमिगत पाईपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के लिए अपेक्षित भूमि (हे. मे)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	योगेन्द्र सिंह पिता हिम्मतसिंह जाति सेंधव	288	1.720	0.042	
2	अकेशिंह पिता भेरूसिंह जाति सेंधव	289/1	0.290	0.043	
3	बहादुरसिंह पिता भेरूसिंह जाति सेंधव	289/2	0.300	0.052	
4	हुकुमसिंह पिता भेरूसिंह जाति सेंधव	289/3	0.290	0.041	
5	दयाराम पिता भागीरथ जाति बलाई	320/2	0.280	0.033	

1- जिले का नाम - देवास

2- तहसील - सोनकच्छ

3- ग्राम - गुराडियारूपा

4- भूमि को अर्जित रकबा 0.211 हे.

5- भूमि - सिंचित

6 -अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक

7- किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की रही है - आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-1। लिफ्ट माइक्रो उद्भवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी।

क्र.- 350-रीडर-2026

सोनकच्छ (देवास), दिनांक 23 फरवरी 2026

प्ररूप- "ख"

उद्घोषणा

(नियम-5 का उपनियम (2) के तहत)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास विभाग संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन म.प्र. के पत्र क्रमांक 2634 दिनांक 06.08.2025 के अनुसार आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-1। लिफ्ट माइक्रो उद्घवन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले के ग्राम मोहम्मदपुर तहसील सोनकच्छ में मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के तहत भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा(1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा।

क्र.	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे. मे)	भूमिगत पाईपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के लिए अपेक्षित भूमि (हे. मे)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	सोभालसिंह पिता मोतीसिंह जाति सेंधव	96	2.2100	0.2370	
2	रामसभाबाई पति खुमानसिंह जाति सेंधव	99	0.7000	0.0610	
3	सुरजसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति सेंधव	101	1.2100	0.1300	
4	नेमचन्द्र कमलकिशोर पिता भजनलाल जाति ब्राह्मण	104	1.0300	0.0040	
5	भुपेन्द्रकुमार गुप्ता पिता जगदीश नारायण गुप्ता जाति महाजन	105	0.3400	0.0110	
6	भुपेन्द्रकुमार गुप्ता पिता जगदीश नारायण गुप्ता जाति महाजन	106/1	0.1700	0.0490	
7	सुमनबाई बेवा ओमप्रकाश, अवधेश आरती रंजना पिता ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण	106/2	0.5000		

1- जिले का नाम - देवास

2- तहसील - सोनकच्छ

3- ग्राम - मोहम्मदपुर

4- भूमि को अर्जित रकबा 0.4920 हे.

5- भूमि - सिंचित

6- अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक

7- किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की रही है - आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-1। लिफ्ट माइक्रो उद्घवन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी।

प्रिया चन्द्रावत, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व).

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

भू-अर्जन-प्र.क्र.-0001-अ-82-2025-26-482

खण्डवा, दिनांक 9 फरवरी 2026

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन:-

(क)	जिला:	खण्डवा
(ख)	तहसील:	खण्डवा
(ग)	ग्राम :	सहेजला
(घ)	अर्जित रकबा:	0.01 हेक्टेयर

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित भूमि का खसरा नंबर	कुल रकबा हेक्टर में	अर्जित भूमि का रकबा हेक्टर में
1	2	3	4	5
1	गिरधारीलाल पिता चम्पालाल, अर्जुन पिता चम्पालाल, बाबूलाल पिता गिरधारीलाल	514/8	0.01	0.01

2) सार्वजनिक प्रायोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पॉ. ज. कं. लि. खण्डवा के रेल परिवहन के अंतर्गत ग्राम सहेजला तहसील खण्डवा की अधिग्रहित भूमि के संबंध में पुनर्वास नीति के तहत बची हुई शेष निजी कृषि भूमि का अर्जन

3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/आयुक्त नगर निगम, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र.क्र.-0001-अ-82-2025-26-482

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन:-

(क)	जिला:	खण्डवा
(ख)	तहसील:	खण्डवा
(ग)	ग्राम :	सहेजला
(घ)	अर्जित रकबा:	0.01 हेक्टेयर

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित भूमि का खसरा नंबर	कुल रकबा हेक्टेर में	अर्जित भूमि का रकबा हेक्टेर में
1	2	3	4	5
1	गिरधारीलाल पिता चम्पालाल, अर्जुन पिता चम्पालाल, बाबूलाल पिता गिरधारीलाल	514/8	0.01	0.01

2) सार्वजनिक प्रायोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पौ. ज. कं. लि. खण्डवा के रेल परिवहन के अंतर्गत ग्राम सहेजला तहसील खण्डवा की अधिग्रहित भूमि के संबंध में पुनर्वास नीति के तहत बची हुई शेष निजी कृषि भूमि का अर्जन

3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/आयुक्त नगर निगम, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 0013-अ-82-2025-26-भू-अर्जन-सिरकुंड

बैतूल, दिनांक 25 फरवरी 2026

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	आमला	सिरकुंड	43.966	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 मुलताई	रिधोरा सिरकुंड स्टोरेज टैंक हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	धीरज पिता मोहनसिंह जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी	159/1	1.732	0.300
2	शान्ताबाई बेवा कुसुमलाल, चम्पालाल, परमाल, अनिल पिता कुसुमलाल, चमेली, संगीता पिता कुसुमलाल जाति रघुवंशी	159/2	1.619	0.560
3	प्रमोद पिता सुन्दरलाल रघुवंशी	160/1	0.001	0.001
4	मुन्नीबाई पत्नी ध्रुव जाति रघुवंशी निवासी सिरकुण्ड	160/2	1.147	0.200

5	पारबती पत्नी भोला जाति तेली निवासी सिरकुंड	160/3	1.147	0.570
6	सुनील पिता नन्दकिशोर जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी	158/4	0.499	0.499
		290/1/1/1	1.097	0.600
7	रामभरोस पिता नन्दकिशोर जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी	158/5/1	0.643	0.320
		290/1/1/2	0.369	0.369
8	बबली पति लालसिंह जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी	158/5/2	0.588	0.588
9	जसवंतसिंह पिता बल्लूसिंह जाति रघुवंशी	290/2/3	0.022	0.022
		290/2/2	0.020	0.020
		157/5/2	0.027	0.027
		157/5/3	0.028	0.028
		402/5	1.120	1.120
		402/7/1/1/2	0.028	0.028
		157/5/1/1/1/1/1/1	0.704	0.460
		285/1	0.322	0.322
		290/2/1/1/1/1/1	0.020	0.020
10	हिमांशु पिता जसवंतसिंह जाति रघुवंशी	290/2/1/1/1/2	0.028	0.028
		157/5/1/1/1/2	0.028	0.028
11	विशाल पिता साहेबलाल जाति पवार	290/2/1/1/2	0.029	0.029
		157/5/1/1/2	0.029	0.029
		402/7/1/1/1/2	0.028	0.028
12	साहबलाल पिता कालूराम जाति पवार	290/2/1/2	0.028	0.028
		157/5/1/2	0.028	0.028
		402/7/1/2	0.028	0.028
13	गुलजारसिंह पिता बल्लूसिंह जाति रघुवंशी	285/4	0.321	0.321
		290/3	0.175	0.175
		293	0.113	0.113
		400/5	0.405	0.050
		402/4	0.135	0.135
14	गणेश पिता रेनी	279/2	1.376	0.080
15	कन्हैया पिता पिरता निवासी सिरकुण्ड	281/2	3.078	0.210
16	रतनलाल पिता सरदार, गणेश, दिनेश, ध्रुव , सुदामा पिता सरदार	281/3	0.183	0.05
17	भोपा, करिया पिता शोभाराम, बुल्को बेवा तातोबा, भैयालाल पिता शिवबा, रमको पत्नी सुखलाल, सुकी बेवा शिवला, सुभद्रा बेवा शिवला, सुभा पत्नी नानकराम, रामलाल, शेषराव, जेठू पिता ठुन्नू, कमला पुत्री ठुन्नू जाति मेहरा निवासी छिन्दी	284/1	1.961	0.630
18	प्यारे, नान्हू, साहेबलाल पुत्र पांठू निवासी रिधोरा	284/2	2.428	2.278
19	अमृतलाल पिता हीरालाल, बल्लो पुत्री हीरालाल	279/3/1	0.161	0.161
		285/2/2	0.508	0.508
20	गेन्द्र पिता हीरालाल, चम्पा पुत्री हीरालाल	279/3/2	0.162	0.162
		285/2/1	0.508	0.508

21	हजारी पिता बलूसिंह जाति रघुवंशी	157/1/1	0.697	0.347
		285/3	0.607	0.557
		361/7	0.249	0.030
		402/6/1	0.078	0.078
		402/6/2	0.028	0.028
		402/6/3	0.029	0.029
		361/8	0.249	0.110
		402/7/1/1/1/1	0.025	0.025
		402/7/2	0.026	0.026
		294/3/1	0.348	0.300
		157/5/1/1/1/1/2	0.028	0.028
		157/1/2	0.029	0.029
		294/3/2	0.029	0.029
		294/3/3	0.028	0.028
22	विवेक पिता जसवंतसिंह रघुवंशी निवासी सिरकुण्ड	157/1/3	0.028	0.028
		157/5/1/1/1/1/2	0.028	0.028
23	कन्हैया पिता घुडिया, रमला पुत्री घुडिया, दिलीप, धमेन्द्र पिता झनक जाति पवार	277/5	0.891	0.650
		286/1	0.052	0.052
		286/5	0.40	0.400
24	गेन्द्र, अमृतलाल पिता हीरालाल, चंपा, बल्लो पिता हीरालाल	287/2	0.498	0.498
		277/6	1.012	0.78
		286/2	0.451	0.451
25	मीरा पिता टेनी, गणेशराव पिता टेनी, मैना बेवा गुलाबराव, अजय, विजय पिता गुलाबराव जाति पवार	286/4	0.450	0.450
26	गणेशराव पिता टेनी, मीरा पिता टेनी, अजय, विजय पिता गुलाबराव, मैना बेवा गुलाबराव	287/1	0.727	0.500
27	ओझा पिता खुश्यालसिंह, गोंदा, कला, मुन्नी पुत्री खुश्यालसिंह, जाति पवार	277/2	1.012	0.300
		287/3	0.499	0.030
28	अमरसिंह उर्फ किसन पिता दमड़्या, जीवनदास उर्फ जिवत्या पिता दमड़्या जाति मेहरा निवासी छिन्दी	283	0.567	0.205
29	सुकलू पिता कसन पता बैतूल	279/4	2.906	0.250
30	गणेशराव पिता टेनी जाति पवार निवासी रिधोरा	279/6	0.405	0.250
31	गणेशराव पिता टेनीसिंह, मीरा पुत्री टेनीसिंह, मैना बेवा गुलाबराव, अजय, विजय पिता गुलाबराव जाति पवार	277/3	0.203	0.203
		277/7	0.405	0.345
		277/1	0.405	0.405
32	गुलसिया बेवा मोहन, पंजाबराव, भीमराव, अमरलाल, छोटेलाल पिता मोहन, कौशल, लीला, कला, रामकली पिता मोहन निवासी सिरकुण्ड	408	0.546	0.546

//4//

33	आनंदराव पिता साजूराम, अमरलाल, पंजाबराव, भीमराव, छोटेलाल पिता मोहन, कौशल, लीला, कला, रामकली पिता मोहन, गुलसिया, नान्ही पिता साजूराम, नत्थू, सावनी पिता सुन्दर	407/1	1.192	0.300
34	चैत्या, कैलाश, नान्हूलाल पिता आनंदराव जाति पवार निवासी सिरकुण्ड	407/2	0.791	0.330
35	रामजी व. धुड़ल्या, धुड़ल्या व. रतिराम, लुइका पिता रतिराम, नारायण पिता सुरजन निवासी छिन्दी	392/2	0.324	0.080
		405	1.918	0.250
36	दल्लू पिता मानक जाति भोयर	386/1	1.829	0.250
37	फुस्या पिता मानक जाति भोयर	386/2	1.829	0.270
38	केवलराम, हेमराज, धनराज पिता तीरथ, गंगा बेवा तीरथ, गोडन बेवा रामजी जाति भोयर	387/4	1.465	0.965
39	झिनी बेवा केशो, मुन्नी बेवा धन्नु, सोनू, कुबेर पिता धन्नु, गुन्नो पुत्री धन्नु, जगन्नाथ, गोडा मंगल पिता केला, गंगा पिता कैला निवासी आमला	360/1	0.204	0.204
		371/1	2.048	0.630
40	राजू, अशोक, मारोती, रमेश, पिता कैलू, कला, सोमती पुत्री कैलू, ममता बेवा किशोर, दीपक पिता किशोर, दीक्षा, भूमिका, अर्चना पुत्री किशोर, भिक्या पिता ढोंडिया, गाडो पिता ढोंडिया	157/3	1.12	1.120
		400/1	0.825	0.655
		402/3	0.373	0.373
41	मंगरू पिता टटारी जाति मेहरा	157/2	1.039	0.4
		157/4	0.29	0.29
		294/2	0.425	0.05
		402/2	0.331	0.191
42	सुनिल पिता नन्दकिशोर जाति रघुवंशी	399	0.542	0.16
		401	1.311	1.311
43	सावन्या, पुनाजी पिता गोपाल जाति पवार	400/3	0.580	0.030
44	मुन्नी बेवा धन्नु, सोनू, कुबेर पिता धन्नु, गुन्नो पुत्री धन्नु जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी	396	1.323	0.150
45	मधु पिता सुरजन, जसोदी पिता सुरजन, नान्ही बेवा गुलाबराव, अनिल, अंजनी पिता गुलाबराव जाति पवार	395	1.319	1.169
46	दुर्गा पत्नी मधु	392/1/1	0.910	0.290
		392/1/2	0.405	0.405
47	छोटू, लक्खू, तीरथ पिता प्यारे, रतनी, जतनी, किन्नो पुत्री प्यारे जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी	393	0.652	0.652
48	गेंदलाल उर्फ चिन्धू पिता जिवबा निवासी सिरकुण्ड	394/1	0.129	0.129
		394/3	0.668	0.668

49	बसन्ती जौ करिया निवासी छिन्दी	394/2	0.344	0.344
50	मुन्ना, रामा, नत्थ्या पिता पन्ना, डेमो पुत्री पन्ना, कारी पिता पन्ना, रामलाल, शेषराव, जेट्ट पिता ठुन्नु, कमला पिता ठुन्नु मेहरा निवासी सिरकुन्ड	359	0.048	0.048
51	पंजाबसिंह पिता सूरतसिंह, रैनो बेवा सूरतसिंह निवासी सिरकुन्ड	360/2	0.204	0.204
52	जगन्नाथ पिता कैला, महेगी, गाडो पिता कैला, गुलजार, उपेन्द्र पिता ज्ञानी, मुन्नी बेवा धन्नु, सोनू, कुबेर पिता धन्नु, गुन्नी पुत्री धन्नु जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी	361/1	1.494	0.140
53	सूरदास उर्फ आनन्दराव पिता अदुप, शंकर उर्फ रंलालसिंह, दयाल, दयालू पिता अधूर, कमला, गौरी, मुन्नी, छोटी पुत्री अधूर, काशीबाई बेवा रतनलाल, सुपसिंह, प्रतापसिंह, मोहनसिंह, पिता रतनलाल, कचरिया, रमला, धन्नी पुत्री रतनलाल जाति रघुवंशी	345	5.37	1.710
		362	1.101	1.101
		363	0.603	0.603
54	लक्ष्मण पिता अकाली जाति रघुवंशी	344/8	0.275	0.275
		344/3/2	0.202	0.152
		364/1	0.083	0.083
55	परमजीत, विनय पिता नारायण रघुवंशी निवासी छिन्दी	344/3/3	0.202	0.03
		364/2	0.083	0.083
		344/7	0.397	0.327
56	भादू पिता गना, भागा बेवा माडू, अशोक, सन्तोष, राजेश व. माडू जाति मेहरा	361/2	0.162	0.03
57	मुन्नलाल पिता लक्ष्मण, कमला पिता लक्ष्मण निवासी मुलताई	286/3	0.052	0.052
		286/6	0.400	0.400
		277/4	0.748	0.748
		277/8	0.771	0.150
58	रघुनाथसिंह, मधुरसिंह पिता बलवीर, चन्द्राबाई, इन्द्राबाई पिता बलवीर जाति रघुवंशी	344/6	1.392	1.152
59	चंदनसिंग पिता चेपा जाति रघुवंशी	354/3	0.202	0.100
60	मुन्ना, धर्मराज, राजेश, संजय पिता सुकनन्दन जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी	347/2	5.155	1.700
61	रघुवीरसिंग पिता चेपा जाति रघुवंशी	354/4	0.202	0.08
62	छोटीबाई पत्नी सुदामा जाति रघुवंशी	353/1	2.069	0.18
63	कल्लू पिता थोन्देसिंग	356/1	0.162	0.162
		356/3	0.117	0.117
		357/1	0.182	0.182
64	राजूसिंह पिता थोन्दे जाति रघुवंशी	356/2	0.237	0.237
		357/2	0.142	0.142

65	सुदामा, रूपसिंग, महादेव पिता सूरतलाल, मुन्नीबाई पिता सूरतलाल	355	0.502	0.502
66	मधु पिता सुरजन जाति भोयर पता- बैतूल	304	0.255	0.100
67	भादू, सुन्दरलाल पिता खंजर, शंकरिया बेवा साहू, पन्नलाल, परमाल पिता साहू निवासी सिरकुण्ड	303	0.081	0.081
68	सुलको पिता रामदास जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी	158/1	0.404	0.210
69	जसवनिया बेवा नन्दकिशोर, सविता, रीता पुत्री नन्दकिशोर	158/3	0.404	0.404
70	सरस्वती पिता अकाली, देवेन्द्र पिता चिब्बीसिंह, मुन्नी, निर्मला पुत्री चिब्बीसिंह, कोमल पिता नारायणसिंह, कीर्ति पुत्री नारायणसिंह जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी	344/3/1	0.151	0.100
71	अर्जुनसिंह पिता भोन्दे जाति रघुवंशी	354/5	1.682	0.250
72	रामभरोस पिता रामदास, सरजो पिता रामदास जाति रघुवंशी निवासी छिन्दी	290/1/2	0.729	0.729
73	ओझा पिता खुश्याल, गोंदा, कला, मुन्नी पुत्री खुश्याल निवासी आमला	288/1	0.228	0.060
	योग:-	137	87.485	43.966

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि रिधोरा सिरकुंड स्टोरेज टैंक के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 1770-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.0017-अ-82-2025-26

उज्जैन, दिनांक 5 मार्च 2026

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनों तरफ ग्राम भेरुगढ में घाट निर्माण कार्य हेतु तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के कस्बा उज्जैन की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

// अनुसूची-1 //

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे. में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
उज्जैन	उज्जैन नगर	ग्राम भेरुगढ	0.5340	परियोजना प्रशासक नमामि क्षिप्रे परियोजना क्रियान्वयन इकाई-01 जलसंसाधन विभाग	सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम भेरुगढ चक के दोनों तरफ घाट निर्माण हेतु।

// अनुसूची-2 //

क्र.स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हेक्ट. में	प्रभावित रकबा हेक्ट. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	राजेश पिता रामेश्वर मधुवाला पति राजेश भूस्वामी	88/2 89 147/4/2	0.1150 0.0210 0.0310	0.0650 0.0150 0.0310	सिंचित
2	घनश्याम पिता किशन भूस्वामी	92/1	0.1250	0.0700	सिंचित
3	धर्मेन्द्र पिता ओमप्रकाश, महेन्द्र पिता ओमप्रकाश, किरण पिता ओमप्रकाश, वीरबाला पिता ओमप्रकाश जाति माली भूस्वामी	92/2/1 93/1/1	0.1050 0.2090	0.0500 0.0700	सिंचित
4	लीलाबाई बेवा लक्ष्मीनारायण, जीतेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण, धर्मेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण, प्रशान्त पिता लक्ष्मीनारायण, उषा पुत्री लक्ष्मीनारायण, संगीता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति माली भूस्वामी	93/2 94/2	0.1050 0.1980	0.0350 0.1200	सिंचित
5	बाबूलाल पिता ब्रजलाल जाति माली भूस्वामी	143/1/1	0.1180	0.0460	सिंचित
6	कमल पिता सूरजमल, चंदशेखर पिता सूरजमल, सुनीता पिता सूरजमल, मनोरमा पिता सूरजमल जाति माली भूस्वामी	147/4/1/1/1	0.0107	0.0107	सिंचित
7	रमेशचंद्र पिता गोरधन जाति माली भूस्वामी	147/4/1/1/2 147/4/1/2/2	0.0053 0.0052	0.0053 0.0052	सिंचित
8	रामकन्या बेवा राजेन्द्र, अंकित पिता राजेन्द्र, अनीता पिता राजेन्द्र, अंकुश पिता राजेन्द्र, ज्योति पिता राजेन्द्र, ममता पिता राजेन्द्र, भावना पिता राजेन्द्र, बंदना पिता राजेन्द्र भूस्वामी	147/4/1/2/1	0.0108	0.0108	सिंचित
		Total		0.5340	

सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम भेरुगढ के दोनों तरफ घाट निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिला भू-अर्जन कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में किया जा सकता है।

क्र. 1771-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.0008-अ-82-2025-26

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनों तरफ ग्राम गोयलाखुर्द में घाट निर्माण कार्य हेतु तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के ग्राम गोयलाखुर्द की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

// अनुसूची-1 //

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे. में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
उज्जैन	कोठी महल	ग्राम गोयलाखुर्द	3.7480	परियोजना प्रशासक नमामि क्षिप्रे परियोजना क्रियान्वयन इकाई-01 जलसंसाधन विभाग	सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम गोयलाखुर्द के दोनों तरफ घाट निर्माण हेतु।

// अनुसूची-2 //

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हेक्ट. में	प्रमादित रकबा हेक्ट. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	मुकेश पिता गणेशनारायण माहेश्वरी श्रीमती मेधा पति मुकेश माहेश्वरी	143/8	0.836	0.0820	सिंचित
2	मुकेश पिता गणेशनारायण माहेश्वरी	143/7	0.784	0.0700	सिंचित मय एप्रोच रोड
		143/6	0.836	0.0821	
		143/5	0.836	0.1220	
3	साई फाउंडेशन इंडिया रजि.ट्रस्ट मुख्यालय नई दिल्ली चेमरमेन श्री साईदास बाबाजी	143/1	3.23	0.5950	असिंचित मय एप्रोच रोड
4	साई फाउंडेशन इंडिया रजि.ट्रस्ट मुख्यालय नई दिल्ली चेमरमेन श्री साईदास बाबाजी शारदा दशोरा पति शरदचंद दशोरा	51/3/1	6.7	0.2860	असिंचित मय एप्रोच रोड
		51/3/2	1.264		
5	तेजनारायण कैलाशनारायण पिता शिवनारायण माली	51/1/1	1.818	0.0780	सिंचित
6	ओमप्रकाश पिता शिवनारायण, रंजना, कुलदीप, गौतम पिता राजेन्द्र परमार,	49/3	1.254	0.1090	सिंचित
7	शंकरलाल, मंजीलाल, भगवानसिंह पिता तोलाराम व मानकुंवरबाई पिता तोलाराम	49/4/3	0.418	0.0620	सिंचित

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हेक्ट. में	प्रस्तावित रकबा हेक्ट. में	अर्जित भूमि का प्रकार
8	ओमसुर डेवलेपर्स द्वारा भागीदार ओमप्रकाश पिता अमरनाथ खत्री, सुरीला पति ओमप्रकाश, शिव पिता ओमप्रकाश खत्री	49/4/2/2	0.194	0.0250	सिंचित
9	उर्मिला, आशा पहावा पिता दरियाईलाल हर्षा पति मुकेश साहनी पिता दरियाईलाल परवीन पति केवलकृष्ण जुनेजा पिता दरियाईलाल	49/4/1/3	0.160	0.0230	सिंचित
10	दिनेश पहावा पिता दरियाईलाल पहावा	49/4/1/2	0.161	0.0240	सिंचित
11	विजय रावल पिता श्रीराम रावल सुमित रावल पिता विजय रावल	49/4/1/1	0.160	0.0230	सिंचित
12	रमेशचन्द्र पिता रामगोपाल हि.1/3, हेमलता पति नरेन्द्र, रिकी पति हेमंत पिता नरेन्द्र, नितिन, गौरव, अंजली पिता नरेन्द्र हि. 1/3 मनोहरलाल पिता रामगोपाल हि. 1/3	32/7 32/6 32/4	0.052 0.230 0.209	0.0390 0.1090 0.1170	सिंचित
13	श्यामलाल, श्रीकृष्ण पिता मोतीलाल	31/2/2 31/1/2/2	0.873 0.909	0.0770 0.1170	सिंचित
14	पद्मा, सुरेश पिता उदेराम झांगियानी	31/1/1 26/2/2/1/1	0.318 0.208	0.0390 0.0310	सिंचित
15	निर्मला गुप्ता पति ज्योतिप्रकाश ज्योतिप्रकाश पिता गोपीकिशन	26/2/2/2	0.2090	0.0390	सिंचित
16	श्री पार्श्वनाथ कंस्ट्रक्शन द्वारा भागीदार मुकेश राका पिता हीरालाल राका आयुष जैन पिता स्व. सुशील जैन	26/2/1/1 26/1 2/6 2/5 2/1/4 26/2/1/6	0.6800 0.8460 0.1570 3.6600 2.4030 0.0800	0.7430 0.0820 0.0550 0.0980 0.0400 0.0400	सिंचित मय एप्रोच रोड
17	मांगीलाल पिता छीता, जमनादेवी पिता छीता, भवर्लाल, कैलाशचन्द्र नंदकिशोर पिता मांगीलाल हेमराज, गोरखन पिता सुरतानसिंह हि. 796/1194 श्री पार्श्वनाथ कंस्ट्रक्शन द्वारा भागीदार मुकेश राका पिता हीरालाल राका आयुष जैन पिता स्व. सुशील जैन	2/1/2	1.194	0.3240 0.0620	सिंचित
18	ओमप्रकाश पिता किशनलाल	2/4 2/3 2/2	0.314 0.021 0.084	0.0660 0.0230 0.0660	सिंचित
Total			सिंचित असिंचित	2.8670 0.8810	

कुल निजी भूमि 3.7480 (सिंचित 2.8670+ असिंचित 0.8810)

सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम गोयलाखुर्द के दोनों तरफ घाट निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिला भू-अर्जन कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में किया जा सकता है।

क्र. 1772-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.0018-अ-82-2025-26

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनों तरफ ग्राम भदेडमयचक में घाट निर्माण कार्य हेतु तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के कस्बा उज्जैन की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

// अनुसूची-1 //.

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे. में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
उज्जैन	उज्जैन नगर	ग्राम भदेडमयचक	1.9710	परियोजना प्रशासक नमामि क्षिप्रे परियोजना क्रियान्वयन इकाई-01 जलसंसाधन विभाग	सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम भदेडमयचक के दोनों तरफ घाट निर्माण हेतु।

// अनुसूची-2 //.

क.स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हेक्ट. में	प्रभावित रकबा हेक्ट. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	चैतन्य प्रदीप पिता आनन्दस्वरूप 2/3, केशव पिता मनीष रुचि पिता मनीष कविता पति मनीष 1/3 जाति ब्राह्मण भूस्वामी	177 355/2 178	0.0630 0.9930 0.4280	0.0630 0.2800 0.1480	सिंचित
2	जेनब बी बेवा एहमद हुसैन आशिक अखलाक पिता एहमद हुसैन रोहनाज बी शबाना बी निलोफर बी रानी पिता एहमद हुसैन जाति मुसलमान भूस्वामी	258 259 261 262 263	0.0730 0.4700 0.1050 0.2610 0.1570	0.0300 0.2450 0.1050 0.0830 0.1300	सिंचित
	सुलता बेवा सदाशिव राजेश संजय धर्मनन्द निशा उषा पिता सदाशिव गोपाल पिता सिद्धेश्वर जाति ब्राह्मण भूस्वामी	280	0.0840	0.0100	सिंचित
	श्री सिद्धवट मंदिर स्थित ग्राम भदेडमयचक दत्तक मंदिर पता उज्जैन मध्यप्रदेश व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन	277 283 286 287 358/1/2 360 354 361	0.5120 0.2300 0.1050 0.0940 0.3340 0.4490 0.1880 0.5430	0.0450 0.0200 0.0200 0.0750 0.1850 0.1200 0.0100 0.1000	सिंचित
	रमेश कुमार पिता कुन्दनलाल जाति ब्राह्मण भूस्वामी	353/1	0.3240	0.0400	सिंचित
	चैतन्य प्रदीप पिता आनन्दस्वरूप 2/3, केशव पिता मनीष रुचि पिता मनीष कविता पति मनीष 1/3	353/2	0.3760	0.0210	सिंचित
	रमेश कुमार पिता कुन्दनलाल	355/1	0.2610	0.0110	सिंचित
	सरोज पिता भेरुशंकर चतुर्वेदी, सुधीर पिता भेरुशंकर चतुर्वेदी, संजय पिता भेरुशंकर चतुर्वेदी, सुरेन्द्र पिता भेरुशंकर चतुर्वेदी जाति ब्राह्मण भूस्वामी	357	0.5230	0.2300	सिंचित
	Total			1.9710	

सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम भदेडमयचक के दोनों तरफ घाट निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिला भू-अर्जन कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रोशन कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 413-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2026-रा.मा.क्र.-0005-अ-82-2025-26

नरसिंहपुर, दिनांक 5 मार्च 2026

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification NO.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक- 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

अनुसूची-1

1. परियोजना का नाम : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना।
1. भूमि का विवरण
2. जिला : नरसिंहपुर
3. तहसील : साईखेड़ा
4. ग्राम : पीपरपानी
5. प.ह.नं. : 27
6. नं.ब. : 266
7. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 7.894 हे.

अनुसूची 2

क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हेक्टे.में
1	2	3	4	5
1.	अंतराम पिता शेरसिंह , हल्कैभैया पिता शेरसिंह , बलिराम पिता शेरसिंह , बारोबाई पुत्री शेरसिंह , राजकुमारीबाई पुत्री शेरसिंह जाति नौरिया पता	भूमिस्वामी	2/1(S)	0.117

	कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश , माखन पिता शेरसिंह जाति नौरिया पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, अनोखीबाई पुत्री शेरसिंह , विराजबाई बेवा शेरसिंह जाति नौरिया पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी		5/1(S)	0.315
2.	गुमता बेवा मारू , सन्तोष पिता मारू पता पीपरपानी साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	2/2(S)	0.118
			5/3(S)	0.599
3.	माखनसिंह पिता पन्नालाल , कन्हैयालाल पिता पन्नालाल , शिवराजसिंह पिता पन्नालाल , पता पीपरपानी साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	3(S)	0.243
			5/2(S)	1.415
4.	ममताबाई पुत्री गुलजारसिंह राजपूत, सावित्रीबाई पुत्री गुलजारसिंह राजपूत, गीताबाई पुत्री गुलजारसिंह राजपूत, फूलाबाई पुत्री गुलजारसिंह राजपूत, कृष्णाबाई पुत्री गुलजारसिंह राजपूत जाति राजपूत पता साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, गुड्डीबाईपुत्री गुलजारसिंह राजपूत पता पीपरपानी साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	7(S)	0.225
5.	प्रेमा पिता सुम्मा जाति चमार, फुलिया पत्नी प्रेमा जाति चमार पता पीपरपानी साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	8/1/22 (S)	0.140
6.	केवलसिंह पिता बुद्धे जाति मेहरा पता साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	8/1/8/2 (S)	0.130
7.	विमला बाई पिता मन्शाराम जाति चमार पता पीपरपानी साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	8/1/5(S)	0.040
8.	रविशंकर पिता अजमेर सिंह , भगवान सिंह पिता अजमेर सिंह , शिवपाल सिंह पिता अजमेर सिंह जाति राजपूत पता पीपरपानी साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	8/2(S)	0.070
9.	शक्तिपाल सिंह पिता तेगबहादुर सिंह जाति राजपूत पता पीपरपानी साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	9/1(S)	2.515
			9/2(S)	
10.	छत्रसाल सिंह पिता श्रीपालसिंह जाति राजपूत पता पीपरपानी साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	9/3(S)	
11.	इन्द्रजीत सिंह पिता श्रीपालसिंह जाति राजपूत पता पीपरपानी साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	9/4(S)	
12.	श्रीपाल पिता तेगबहादुर जाति राजपूत पता पीपरपानी साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	12(S)	0.170
13.	सिंधु सिंह पति छत्रपाल सिंह उर्फ धर्मपालसिंह जाति राजपूत पता पीपरपानी साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	11/3(S)	1.165
14.	चंद्रहास पिता श्रीपाल सिंह जाति राजपूत पता पीपरपानी साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	14(S)	0.024
15.	अखलेशसिंह पिता त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत, महेन्द्रसिंह पिता त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत,	भूमिस्वामी	15(S)	0.340

	राजकुमार पिता त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत, संतोषसिंह पिता त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत, कृष्णपालसिंह पिता त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत, कौशलीबाई पुत्री त्रिभुवन उर्फ बाबू सिंह जाति राजपूत, मनोरमाबाई पुत्री त्रिभुवन उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत, पता पीपरपानी साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश		16(S)	0.090
			17(S)	0.130
16.	धर्मपाल सिंह पिता तेगबहादुरसिंह जाति राजपूत पता पीपरपानी साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	18(S)	0.048
कुल योग				7.894

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक-29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमूदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रं. 84, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडरवारा के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडरवारा) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभाग गाडरवारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रजनी सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.